[राज्य सभा द्वारा 11 मई, 2016 को पारित रूप में]

2015 का विधेयक संख्यांक 63-सी

डा0 राजेन्द्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, 2016

खंडों का क्रम

खंड

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।
2. डा0 राजेन्द्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में घोषणा ।
3. परिभाषाएं ।
4. डा0 राजेन्द्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन ।
5. विश्वविद्यालय के उद्देश्य ।
6. विश्वविद्यालय की शक्तियां ।
7. अधिकारिता ।
8. विश्वविद्यालय का सभी वर्गों, जातियों और पंथों के लिए खुला होना ।
9. कुलाध्यक्ष ।
10. विश्वविद्यालय के अधिकारी ।
11. कुलाधिपति ।
12. कुलपति ।
13. संकायाध्यक्ष और निदेशक ।
14. कुल सचिव ।
15. प्रबंधक ।
16. अन्य अधिकारी ।
17. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी ।
18. बोर्ड का प्रबंध ।
19. विद्या परिषद् ।
20. अनुसंधान परिषद् ।
21. विस्तारी शिक्षा परिषद् ।
22. वित्त समिति ।
23. संकाय ।
24. अध्ययन बोर्ड ।
25. विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारी ।
26. परिनियम बनाने की शक्ति ।
27. परिनियम किस प्रकार बनाए जाएंगे ।
28. अध्यादेश बनाने की शक्ति ।
29. विनियम ।
30. वार्षिक रिपोर्ट ।
31. वार्षिक लेखे ।
32. कर्मचारियों की सेवा की शर्तें ।
33. छात्रों के विरुद्ध अनुशासनिक मामलों में अपील और माध्यस्थम् की प्रक्रिया ।
34. अपील करने का अधिकार ।
35. भविष्य और पेंशन निधियां ।

खंड

36. विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के गठन के बारे में विवाद ।
37. समितियों का गठन ।
38. आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना ।
39. विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों की कार्यवाहियों का रिक्तियों के कारण अविधिमान्य न होना ।
40. सद्भावपूर्ण की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।
41. विश्वविद्यालय के अभिलेखों को साबित करने का ढंग ।
42. विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रभाव ।
43. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।
44. संक्रमणकालीन उपबंध ।
45. बिहार कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम का निरसन ।
46. परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का राजपत्र में प्रकाशित किया जाना और संसद् के समक्ष रखा जाना ।

अनुसूची

[राज्य सभा द्वारा 11 मई, 2016 को पारित रूप में]

2015 का विधेयक संख्यांक 63-सी

[दि डा० राजेन्द्र प्रसाद सेंट्रल एग्रिकल्चरल यूनिवर्सिटी बिल, 2016 का हिन्दी अनुवाद]

डा० राजेन्द्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, 2016

कृषि के विकास के लिए और कृषि तथा सहबद्ध विज्ञानों में विद्या की अभिवृद्धि तथा अनुसंधान के कामकाज को अग्रसर करने के लिए और उसे राष्ट्रीय महत्व की एक संस्था घोषित करने के लिए विद्यमान राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, बिहार का डा० राजेन्द्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में संपरिवर्तन करके एक विश्वविद्यायल की स्थापना और निगमन का उपबंध करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम डा० राजेन्द्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

डा० राजेन्द्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में घोषणा ।

2. डा० राजेन्द्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के रूप में ज्ञात संस्था के उद्देश्य ऐसे हैं जो उसे राष्ट्रीय महत्व की संस्था बनाते हैं, इसलिए यह घोषित किया जाता है कि डा० राजेन्द्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के रूप में ज्ञात संस्था राष्ट्रीय महत्व की संस्था है ।

परिभाषाएं ।

3. इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए सभी परिनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "विद्या परिषद्" से विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् अभिप्रेत है ;

(ख) "शैक्षणिक कर्मचारिवृंद" से ऐसे प्रवर्गों के कर्मचारिवृंद अभिप्रेत हैं जो अध्यादेशों द्वारा शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के रूप में अभिहित किए जाते हैं ;

(ग) "कृषि" से मृदा और जल प्रबंध के आधारभूत तथा सहबद्ध विज्ञान, फसल उत्पादन जिसके अंतर्गत सभी उद्यान फसलों का उत्पादन, पौधों, नाशकजीवों और रोगों का नियंत्रण भी है, उद्यान कृषि जिसके अंतर्गत पशु चिकित्सा और दुग्ध विज्ञान सहित पुष्प कृषि, पशु पालन, मत्स्य उद्योग, वन उद्योग जिसके अंतर्गत फार्म वन उद्योग, गृह विज्ञान, कृषि इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी भी हैं, कृषि और पशु पालन उत्पादों का विपणन और प्रसंस्करण, भूमि उपयोग और प्रबंध अभिप्रेत हैं ;

(घ) "बोर्ड" से विश्वविद्यालय का प्रबंध बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ङ) "अध्ययन बोर्ड" से विश्वविद्यालय का अध्ययन बोर्ड अभिप्रेत है ;

(च) "कुलाधिपति" से विश्वविद्यालय का कुलाधिपति अभिप्रेत है ;

(छ) "महाविद्यालय" से विश्वविद्यालय का घटक महाविद्यालय अभिप्रेत है, चाहे मुख्यालय पर, कैंपस में या अन्यत्र अवस्थित हो ;

(ज) "विभाग" से विश्वविद्यालय का अध्ययन विभाग अभिप्रेत है ;

(झ) "कर्मचारी" से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय के शिक्षक और अन्य कर्मचारिवृंद भी हैं ;

(ञ) "विस्तारी शिक्षा" से फलोउद्यानियों, कृषकों तथा कृषि, कृषि उद्यान, मत्स्य उद्योग में काम कर रहे अन्य समूहों और उससे संबंधित उन्नत व्यवसाय तथा कृषि और कृषि उत्पादन से संबंधित विज्ञान प्रौद्योगिकी के विभिन्न चरणों जिसके अंतर्गत फसलोत्तर प्रौद्योगिकी और विपणन भी है, के प्रशिक्षण से संबंधित शैक्षणिक क्रियाकलाप अभिप्रेत हैं ;

(ट) "संकाय" से विश्वविद्यालय का संकाय अभिप्रेत है ;

(ठ) "अध्यादेश" से विश्वविद्यालय का अध्यादेश अभिप्रेत हैं ;

(ड) "विनियम" से विश्वविद्यालय के किसी विहित प्राधिकारी द्वारा बनाए गए विनियम अभिप्रेत है ;

(ढ) "अनुसंधान सलाहकार समिति" से विश्वविद्यालय की अनुसंधान सलाहकार समिति अभिप्रेत है ;

(ण) "परिनियम" से विश्वविद्यालय के परिनियम अभिप्रेत हैं ;

(त) "छात्र" से डिग्री, डिप्लोमा या सम्यक् रूप से संस्थित अन्य विद्या संबंधी उपाधि अभिप्राप्त करने के लिए अध्ययन पाठ्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय में नामांकित कोई व्यक्ति अभिप्रेत हैं ;

(थ) "शिक्षक" से विश्वविद्यालय मे या विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे महाविद्यालय या किसी संस्थान में शिक्षण देने या अनुसंधान या विस्तारी शिक्षा कार्यक्रमों या इन दोनों के संयोजन का संचालन करने के लिए नियुक्त आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्य, शिक्षा संकाय के सदस्य और उनके समतुल्य तथा जो अध्यादेशों द्वारा शिक्षकों के रूप में अभिहित हैं, अभिप्रेत हैं ;

(द) "विश्वविद्यालय" से इस अधिनियम के अधीन स्थापित डा० राजेन्द्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अभिप्रेत है ;

(ध) "कुलपति" से विश्वविद्यालय का कुलपति अभिप्रेत है ; और

(न) "कुलाध्यक्ष" से विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष अभिप्रेत है ;

1988 का बिहार अधिनियम संख्यांक 8

डा० राजेन्द्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन ।

4. (1) बिहार कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 के अधीन, जहां तक इसका संबंध राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय से है, स्थापित और निगमित विश्वविद्यालय को इस अधिनियम के अधीन "डा० राजेन्द्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय" के नाम से निगमित निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा ।

(2) विश्वविद्यालय का मुख्यालय बिहार राज्य के पूसा में होगा और यह अपने कैंपस, अपनी अधिकारिता के भीतर ऐसे अन्य स्थानों पर भी स्थापित कर सकेगा, जो यह ठीक समझे :

परंतु विश्वविद्यालय, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय के विद्यमान कैंपस और अन्य सहबद्ध सुविधाओं को एकीकृत करेगी तथा इसका कार्यभार संभालना उस तारीख को प्रभावी होगा जो राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हो ।

(3) प्रथम कुलाधिपति, प्रथम कुलपति, सभा का प्रथम सदस्य, विद्या परिषद् और वे सभी व्यक्ति, जो इसके पश्चात् ऐसे अधिकारी या सदस्य हों, जब तक वे ऐसा पद या सदस्यता धारण करते रहे, एतद्द्वारा डा० राजेन्द्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के नाम से एक निगमित निकाय का गठन करते हैं ।

(4) विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी सामान्य मुद्रा होगी तथा उक्त नाम से वह वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा ।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य ।

5. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :--

(क) कृषि और सहबद्ध विज्ञानों की ऐसी विभिन्न शाखाओं में शिक्षा देना जो वह उचित समझे;

(ख) कृषि और सहबद्ध विज्ञानों में शिक्षा की अभिवृद्धि तथा अनुसंधान के संचालन को अग्रसर करना;

(ग) बिहार राज्य पर विशिष्ट ध्यान देते हुए देश में विस्तारी शिक्षा के कार्यक्रम करना ;

(घ) राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थाओं के साथ भागीदारी और सहलग्नता में अभिवृद्धि करना ;

(ङ) ऐसे अन्य कार्यकलाप करना जो वह समय समय पर अवधारित करे ।

विश्वविद्यालय की शक्तियां ।

6. विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :--

(i) कृषि और सहबद्ध विज्ञानों में शिक्षण के उपबंध करना ;

(ii) कृषि और विद्या के सहबद्ध शाखाओं में अनुसंधान के उपबंध करना ;

(iii) विस्तारी कार्यक्रमों के माध्यम से अनुसंधान और तकनीकी सूचना के निष्कर्षों के प्रसार का उपबंध करना ;

(iv) ऐसी शर्तों के अध्यधीन जो विश्वविद्यालय अवधारित करे, परिनियमों द्वारा विहित रीति से डिप्लोमा या प्रमाणपत्र प्रदान करना और परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की किसी अन्य पद्धति के आधार पर व्यक्तियों को डिग्रियां या अन्य विद्या संबंधी उपाधियां प्रदत्त करना और अच्छे और पर्याप्त कारण से किसी ऐसे डिप्लोमा, प्रमाणपत्र, डिग्री या अन्य विद्या संबंधी उपाधियों को वापस लेना ;

(v) परिनियमों द्वारा विहित रीति से मानद डिग्रियां या अन्य विद्या संबंधी उपाधियां प्रदत्त करना ;

(vi) क्षेत्रीय कर्मकारों, ग्रामीण नेताओं और विश्वविद्यालय के नियमित छात्रों के रूप में नामांकित नहीं किए गए अन्य व्यक्तियों के लिए व्याख्यान और शिक्षण की व्यवस्था करना;

(vii) किसी अन्य विश्वविद्यालय या प्राधिकारी या उच्चतर शिक्षा की संस्था के साथ ऐसी रीति में और ऐसे प्रयोजन के लिए जो विश्वविद्यालय अवधारित करे सहकार, सहयोग करना या सहयुक्त होना;

(viii) यथाआवश्यक कृषि, उद्यान कृषि, मत्स्य उद्योग, वनोद्योग, पशु चिकित्सा तथा पशु विज्ञान, दूग्ध उद्योग, गृह विज्ञान और सहबद्ध विज्ञानों से संबंधित महाविद्यालयों की स्थापना करना और उन्हें चलाना ;

(ix) ऐसे कैंपस, कृषि विज्ञान केन्द्र, विशेष केन्द्र, विशेषीकृत प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, संग्रहालय या अनुसंधान और संस्था के लिए अन्य ऐसी इकाइयां स्थापित करना और उन्हें चलाना जो उसकी राय में उसके उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हों ;

(x) शिक्षा, अनुसंधान तथा विस्तारी शिक्षा पदों को सृजित करना और उन पर नियुक्तियां करना ;

(xi) प्रशासनिक, अनुसचिवीय और अन्य पदों को सृजित करना और उन पर नियुक्तियां करना ;

(xii) अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, अध्ययनवृत्ति, पदक और पुरस्कार संस्थित करना और प्रदान करना ;

(xiii) विश्वविद्यालय में प्रवेश के मानक अवधारित करना जिसके अंतर्गत परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की कोई अन्य पद्धति हो सकेगी;

(xiv) छात्रों और कर्मचारियों के लिए गृह वास सुविधा की व्यवस्था करना और उन्हें चलाना ;

(xv) विश्वविद्यालय के छात्रों के आवासों का पर्यवेक्षण करना और उनके स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण की अभिवृद्धि का इंतजाम करना ;

(xvi) सभी प्रवर्ग के कर्मचारियों की सेवा शर्तें अधिकथित करना, जिसके अंतर्गत उनकी आचार संहिता भी है;

(xvii) छात्रों और कर्मचारियों में अनुशासन का विनियमन करना और उसका पालन कराना और इस संबंध में ऐसे अनुशासनिक उपाय करना जो वह आवश्यक समझे ;

(xviii) ऐसी फीस और अन्य प्रभार नियत करना, उनकी मांग करना और प्राप्त करना जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं ;

(xix) केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए इसकी संपत्ति की प्रतिभूति पर धन उधार लेना;

(xx) उपकृति, संदान और दान प्राप्त करना और विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए किसी स्थावर या जंगम संपत्ति को, जिसके अंतर्गत न्यास और विन्यास संपत्ति भी है, अर्जित करना, धारण करना, उसका प्रबंध और व्ययन करना ;

(xxi) ऐसे अन्य सभी कार्य और बातें करना जो उसके सभी या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों ;

7. (1) कृषि और सहबद्ध विषयों के क्षेत्र में शिक्षण, अनुसंधान तथा विश्वविद्यालय स्तर पर विस्तारी शिक्षा के कार्यक्रमों की बाबत विश्वविद्यालय की अधिकारिता और उत्तरदायित्व बिहार राज्य के संदर्भ सहित संपूर्ण देश पर होगा । — अधिकारिता ।

(2) राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय के सभी महाविद्यालय, निदेशालय, अनुसंधान स्टेशन, प्रयोग स्टेशन और कृषि विज्ञान केन्द्र तथा विश्वविद्यालय की अधिकारिता और प्राधिकार के अंतर्गत आने वाली सभी संस्थाएं घटक इकाई होंगी और किसी अन्य इकाई को संबद्ध इकाई के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी ।

(3) विश्वविद्यालय क्षेत्र विस्तार कर्मकारों और अन्य के प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायित्व ग्रहण कर सकेगी और ऐसे प्रशिक्षण केन्द्र विकसित कर सकेगी जो इसकी अधिकारिता के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में अपेक्षित हों ।

8. विश्वविद्यालय प्रत्येक लिंग, जाति, वंश, मूलवंश या वर्ग के सभी व्यक्तियों के लिए, खुला होगा और विश्वविद्यालय के लिए यह विधिपूर्ण नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय में छात्र के रूप में प्रवेश पाने या विश्वविद्यालय में शिक्षक के रूप में नियुक्ति का हकदार बनाने या उसमें कोई अन्य पद धारण करने या विश्वविद्यालय में छात्र के रूप में प्रवेश लेने या उसके किसी अन्य विशेषाधिकार का उपभोग या प्रयोग करने के लिए किसी धार्मिक विश्वास या मान्यता संबंधी मानदंड अपनाएं या उन पर अधिरोपित करें : — विश्वविद्यालय का सभी वर्गों, जातियों और पंथों के लिए खुला होना ।

परंतु इस धारा की कोई बात विश्वविद्यालय की महिलाओं, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त या समाज के दुर्बल वर्गों और विशिष्टतया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के नियोजन या प्रवेश के लिए विशेष उपबंध करने से निवारित करने वाली नहीं समझी जाएगी ।

9. (1) भारत का राष्ट्रपति विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष होगा । — कुलाध्यक्ष ।

(2) कुलाध्यक्ष का, उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जिन्हें वह निदेश दे, विश्वविद्यालय, उसके भवनों, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं तथा उपस्कर का और विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जाने वाले किसी महाविद्यालय या संस्था का और विश्वविद्यालय द्वारा संचालित की गई परीक्षा, दिए गए शिक्षण और अन्य कार्य का भी निरीक्षण कराने का और विश्वविद्यालय के प्रशासन और वित्त से संबंधित किसी मामले की बाबत उसी रीति से जांच कराने का अधिकार होगा ।

(3) कुलाध्यक्ष, प्रत्येक मामले में विश्वविद्यालय को निरीक्षण करवाने या जांच किए जाने के अपने आशय की सूचना देगा और विश्वविद्यालय को, ऐसी सूचना की प्राप्ति पर, सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन या ऐसी अन्य अवधि के भीतर, जो कुलाध्यक्ष अवधारित करे, उसे ऐसा अभ्यावेदन करने का अधिकार होगा, जो वह आवश्यक समझे ।

(4) कुलाध्यक्ष, विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात्, ऐसा निरीक्षण या जांच करा सकेगा जो उपधारा (2) में निर्दिष्ट है ।

(5) जहां कुलाध्यक्ष द्वारा कोई निरीक्षण या जांच कराई जाती है वहां विश्वविद्यालय एक

प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार होगा जिसे ऐसे निरीक्षण या जांच में उपस्थित होने और सुने जाने का अधिकार होगा ।

(6) कुलाध्यक्ष, निरीक्षण या जांच के परिणाम पर की जाने वाली कार्रवाई की बाबत उस पर ऐसे विचारों और सलाह सहित, जो कुलाध्यक्ष प्रस्थापित करे, कुलपति को लिख सकेगा और कुलपति द्वारा संबोधन किए जाने की प्राप्ति पर कुलपति, निरीक्षण या जांच के परिणाम और कुलाध्यक्ष के विचारों और उस पर की जाने वाली कार्रवाई पर उसके द्वारा दी गई सलाह को तत्काल बोर्ड को संसूचित करेगा ।

(7) बोर्ड, ऐसी कार्रवाई, यदि कोई हो, जो ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणामों पर करने के लिए वह प्रस्थापना करता है या उसके द्वारा की गई है, कुलपति के माध्यम से कुलाध्यक्ष को संसूचित करेगा ।

(8) जहां बोर्ड, युक्तियुक्त समय के भीतर कुलाध्यक्ष के समाधानप्रद रूप में कार्रवाई नहीं करता है, वहां कुलाध्यक्ष बोर्ड द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण या किए गए अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् ऐसे निदेश जारी कर सकेगा, जो वह उचित समझे और बोर्ड ऐसे निदेशों का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा ।

(9) इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कुलाध्यक्ष लिखित आदेश द्वारा विश्वविद्यालय की किसी ऐसी कार्रवाई को निष्प्रभाव कर सकेगा, जो इस अधिनियम या परिनियमों या अध्यादेशों के संगत नहीं हो :

परंतु ऐसा कोई आदेश करने से पहले वह विश्वविद्यालय से यह कारण बताने के लिए कहेगा कि क्यों न ऐसा आदेश किया जाए और यदि युक्तियुक्त समय के भीतर कोई कारण बताया जाता है तो वह उस पर विचार करेगा ।

(10) कुलाध्यक्ष को ऐसी अन्य शक्तियां होंगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए ।

विश्वविद्यालय के अधिकारी ।

10. विश्वविद्यालय के निम्लिखित अधिकारी होंगे-

(1) कुलाधिपति ;

(2) कुलपति ;

(3) संकायाध्यक्ष ;

(4) निदेशक ;

(5) कुल सचिव ;

(6) प्रबंधक ;

(7) विश्वविद्यालय का पुस्तकालयाध्यक्ष ; और

(8) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा घोषित किए जाएं ।

कुलाधिपति ।

11. (1) कुलाधिपति, कुलाध्यक्ष के द्वारा, ऐसी रीति से जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए, नियुक्ति किया जाएगा ।

(2) कुलाधिपति, अपने पदाभिधान से, विश्वविद्यालय का प्रधान होगा ।

(3) कुलाधपति, यदि वह उपस्थित है तो डिग्रियां प्रदान करने के लिए आयोजित विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोहों में पीठासीन होगा ।

कुलपति ।

12. (1) कुलपति की नियुक्ति कुलाध्यक्ष द्वारा ऐसी रीति से की जाएगी, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए ।

(2) कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर साधारण पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकारियों के विनिश्चयों को कार्यान्वित करेगा ।

(3) यदि कुलपति की यह राय है कि किसी मामल में तुरंत कार्रवाई आवश्यक है तो वह किसी ऐसी शक्ति का प्रयोग कर सकेगा जो विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त है और अपने द्वारा उस मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट उस प्राधिकारी को देगा :

परंतु यदि संबंधित प्राधिकारी की यह राय है कि ऐसी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी तो वह ऐसा मामला कुलाध्यक्ष को निर्देशित कर सकेगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा :

परंतु यह और कि विश्वविद्यालय में सेवारत ऐसे व्यक्ति को, जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई से व्यथित है, यह अधिकार होगा कि जिस तारीख को ऐसी कार्रवाई का विनिश्चय उसे संसूचित किया जाता है उससे तीन मास के भीतर वह उस कार्रवाई के विरुद्ध अभ्यावेदन, बोर्ड को करे और तब बोर्ड कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई को पुष्ट, उपांतरित कर सकेगा या उसे उलट सकेगा ।

(4) यदि कुलपति की यह राय है कि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का कोई विनिश्चय इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के उपबंधों द्वारा प्रदत्त प्राधिकारी की शक्तियों के बाहर है या किया गया विनिश्चय विश्वविद्यालय के हित में नहीं है तो वह संबंधित प्राधिकारी से अपने विनिश्चय का ऐसे विनिश्चय के साठ दिन के भीतर पुनर्विलोकन करने के लिए कह सकेगा और यदि वह प्राधिकारी उस विनिश्चय का पूर्णतः या भागतः पुनर्विलोकन करने से इंकार करता है या उसके द्वारा उक्त साठ दिन की अवधि के भीतर कोई विनिश्चय नहीं किया जाता है तो वह मामला कुलाध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा ।

(5) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं ।

संकायाध्यक्ष और निदेशक ।

13. प्रत्येक संकायाध्यक्ष और प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति ऐसी रीति से की जाएगी और वे ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं ।

कुल सचिव ।

14. (1) कुलसचिव की नियुक्ति ऐसी रीति से की जाएगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं ।

(2) कुलसचिव को विश्वविद्यालय की ओर से करार करने, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और अभिलेखों को अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं ।

प्रबंधक ।

15. प्रबंधक की नियुक्ति ऐसी रीति से की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं ।

अन्य अधिकारी ।

16. विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति और उनकी शक्तियां और कर्तव्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे ।

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी ।

17. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे, अर्थात्--

(1) बोर्ड ;

(2) विद्या परिषद् ;

(3) अनुसंधान परिषद् ;

(4) विस्तारी शिक्षा परिषद् ;

(5) वित्त समिति ;

(6) संकाय और अध्ययन बोर्ड ; और

(7) ऐसे अन्य प्राधिकारी जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं ।

बोर्ड का प्रबंध ।

18. (1) बोर्ड विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक निकाय होगा ।

(2) बोर्ड का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियां तथा कृत्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे ।

विद्या परिषद् ।

19. (1) विद्या परिषद्, विश्वविद्यालय की प्रधान शैक्षणिक निकाय होगी और इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय के भीतर विद्या, शिक्षा, शिक्षण, मूल्यांकन और परीक्षा के मानकों के रखरखाव पर नियंत्रण रखेगी, उसका साधारण विनियमन करेगी और उसके लिए उत्तरदायी होगी तथा ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करेगी, जो परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त किए जाएं या उस पर अधिरोपित किए जाएं ।

(2) विद्या परिषद् का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे ।

अनुसंधान परिषद् ।

20. अनुसंधान परिषद् का गठन, उनकी शक्तियां और कृत्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे ।

विस्तारी शिक्षा परिषद् ।

21. विस्तारी शिक्षा परिषद् का गठन, उनकी शक्तियां और कृत्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे ।

वित्त समिति ।

22. वित्त समिति का गठन, उनकी शक्तियां और कृत्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे ।

संकाय ।

23. विश्वविद्यालय में ऐसे संकाय होंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं ।

अध्ययन बोर्ड ।

24. अध्ययन बोर्ड का गठन, उनकी शक्तियां और कृत्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे ।

विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारी ।

25. धारा 17 के खंड (7) में निर्दिष्ट विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों का गठन, उनकी शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं ।

परिनियम बनाने की शक्ति ।

26. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, परिनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा, अर्थात्:--

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों का, जो समय-समय पर गठित किए जाएं, गठन, शक्तियां और कृत्य;

(ख) उक्त प्राधिकरणों के सदस्यों की नियुक्ति और उनका पदों पर बने रहना, पदों की रिक्तियों का भरा जाना तथा उन प्राधिकरणों से संबंधित अन्य सभी विषय जिनके लिए उपबंध करना आवश्यक या वांछनीय हो;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, उनकी शक्तियां तथा कर्तव्य और उनकी उपलब्धियां;

(घ) विश्वविद्यालय के शिक्षकों, शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति और उनकी उपलब्धियां;

(ङ) किसी संयुक्त परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए, किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में काम करने वाले शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द की विनिर्दिष्ट अवधि के लिए नियुक्ति;

(च) कर्मचारियों की सेवा की शर्तें, जिनके अंतर्गत पेंशन, बीमा और भविष्य-निधि का उपबंध, सेवा-समाप्ति और अनुशासनिक कार्रवाई की रीति भी है;

(छ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा में ज्येष्ठता को शासित करने वाले सिद्धांत;

(ज) कर्मचारियों या छात्रों और विश्वविद्यालय के बीच विवाद के मामलों में माध्यस्थम् के लिए प्रक्रिया;

(झ) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी की कार्रवाई के विरुद्ध किसी कर्मचारी या छात्र द्वारा बोर्ड को अपील करने की प्रक्रिया;

(ञ) विभागों, केन्द्रों, महाविद्यालय और संस्थाओं की स्थापना और उत्सादन;

(ट) सम्मानिक उपाधियों का प्रदान किया जाना;

(ठ) उपाधियों, डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों और अन्य विद्या संबंधी विशिष्ट उपाधियों का वापस लिया जाना;

(ड) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, अध्ययनवृत्तियों, पदकों और पुरस्कारों का संस्थित किया जाना;

(ढ) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों या अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन;

(ण) कर्मचारियों और छात्रों में अनुशासन बनाए रखना;

(त) ऐसे सभी अन्य विषय जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाने हैं या किए जाएं ।

परिनियम किस प्रकार बनाए जाएंगे ।

27. (1) प्रथम परिनियम वे हैं जो अनुसूची में उपवर्णित हैं ।

(2) बोर्ड, समय-समय पर, परिनियम बना सकेगा या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगा :

परन्तु बोर्ड, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण की प्रास्थिति, शक्तियों या उसके गठन पर प्रभाव डालने वाला कोई परिनियम तब तक नहीं बनाएगा, उसका संशोधन नहीं करेगा और उसका निरसन नहीं करेगा जब तक ऐसे प्राधिकरण को प्रस्तावित परिवर्तनों पर अपनी राय लिखित रूप में अभिव्यक्त करने का अवसर नहीं दे दिया गया है और इस प्रकार अभिव्यक्त किसी राय पर बोर्ड विचार करेगा ।

(3) प्रत्येक परिनियम या उसके किसी संशोधन या निरसन के लिए कुलाध्यक्ष की अनुमति अपेक्षित होगी जो उस पर अनुमति दे सकेगा या अनुमति विधारित कर सकेगा या उसे बोर्ड को उसके विचारार्थ वापस भेज सकेगा ।

(4) कोई परिनियम या विद्यमान परिनियम का संशोधन या निरसन करने वाला कोई परिनियम तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कुलाध्यक्ष द्वारा उसकी अनुमति नहीं दे दी गई हो ।

(5) पूर्वगामी उपधाराओं में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कुलाध्यक्ष, इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पश्चात् की तीन वर्ष की अवधि के दौरान उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगा ।

(6) पूर्वगामी उपधाराओं में किसी बात के होते हुए भी, कुलाध्यक्ष, अपने द्वारा विनिर्दिष्ट किसी विषय के संबंध में परिनियमों में उपबंध करने के लिए विश्वविद्यालय को निदेश दे सकेगा और यदि बोर्ड, ऐसे निदेश को उसकी प्राप्ति के साठ दिन के भीतर कार्यान्वित करने में असमर्थ रहता है तो कुलाध्यक्ष, बोर्ड द्वारा ऐसे निदेश का अनुपालन करने में अपनी असमर्थता के लिए

संसूचित/समुचित कारणों पर, यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात्, यथोचित रूप से परिनियमों को बना या संशोधित कर सकेगा ।

अध्यादेश बनाने की शक्ति ।

28. (1) इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अध्यादेशों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और उस रूप में उनका नामांकन;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों, डिप्लोमाओं और प्रमाणपत्रों के लिए अधिकथित किए जाने वाले पाठ्यक्रम;

(ग) शिक्षण और परीक्षा का माध्यम;

(घ) उपाधियों, डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों और अन्य विद्या संबंधी विशिष्ट उपाधियों का प्रदान किया जाना, उनके लिए अर्हताएं और उन्हें प्रदान करने और प्राप्त करने के बारे में किए जाने वाले उपाय;

(ङ) विश्वविद्यालय में अध्ययन के पाठ्यक्रमों के लिए और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों, डिप्लोमाओं और प्रमाणपत्रों में प्रवेश के लिए प्रभारित की जाने वाली फीस;

(च) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, पदक और पुरस्कार प्रदान किए जाने की शर्तें;

(छ) परीक्षाओं का संचालन, जिसके अंतर्गत परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों की पदावधि और नियुक्ति की रीति और उनके कर्तव्य भी हैं;

(ज) छात्रों के निवास की शर्तें;

(झ) छात्राओं के निवास, अनुशासन और अध्यापन के लिए किए जाने वाले विशेष प्रबंध, यदि कोई हों, और उनके लिए अध्ययन के विशेष पाठ्यक्रमों को विहित करना;

(ञ) जिन कर्मचारियों के लिए परिनियमों में उपबंध किया गया है उनसे भिन्न कर्मचारियों की नियुक्ति और उपलब्धियां;

(ट) विशेष केन्द्रों, विशेषित प्रयोगशालाओं और अन्य समितियों की स्थापना;

(ठ) अन्य विश्वविद्यालयों और प्राधिकरणों के साथ, जिनके अंतर्गत विद्वत निकाय या संगम भी हैं, सहकार और सहयोग करने की रीति;

(ड) किसी अन्य ऐसे निकाय का, जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन में सुधार के लिए आवश्यक समझा जाए, सृजन, उसकी संरचना और उसके कृत्य;

(ढ) शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द की सेवा के ऐसा अन्य निबंधन और शर्तें, जो परिनियमों द्वारा विहित नहीं हैं;

(ण) विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित महाविद्यालयों और संस्थाओं का प्रबंध;

(त) कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए किसी तंत्र की स्थापना; और

(थ) ऐसे सभी अन्य विषय जो इस अधिनियम या परिनियमों के अनुसार अध्यादेशों द्वारा उपबंधित किए जाएं ।

(2) प्रथम अध्यादेश, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, कुलपति द्वारा बनाए जाएंगे, और इस प्रकार बनाए गए अध्यादेश, परिनियमों द्वारा विहित रीति से बोर्ड द्वारा किसी भी समय संशोधित या निरसित किए जा सकेंगे ।

विनियम ।

29. विश्वविद्यालय के प्राधिकरण स्वयं अपने और अपने द्वारा स्थापित की गई समितियों के कार्य संचालन के लिए, जिसका इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा उपबंध नहीं किया गया है, परिनियमों द्वारा विहित रीति से ऐसे विनियम बना सकेंगे, जो इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों से संगत हैं ।

वार्षिक रिपोर्ट ।

30. (1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट बोर्ड के निदेश के अधीन तैयार की जाएगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विश्वविद्यालय द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किए गए उपाय होंगे और वह बोर्ड को उस तारीख को या उसके पश्चात् भेजी जाएगी, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए और बोर्ड अपने वार्षिक अधिवेशन में उस रिपोर्ट पर विचार करेगा ।

(2) बोर्ड, वार्षिक रिपोर्ट अपनी टीका-टिप्पणी सहित, यदि कोई हो, कुलाध्यक्ष को भेजेगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रति, केन्द्रीय सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी, जो उसे यथाशीघ्र, संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी ।

वार्षिक लेखे ।

31. (1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे बोर्ड के निदेशों के अधीन तैयार किए जाएंगे और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा या ऐसे व्यक्तियों द्वारा जिन्हें वह इस निमित्त प्राधिकृत करे, प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार और पंद्रह मास से अनधिक के अंतराल पर उनकी संपरीक्षा की जाएगी ।

(2) वार्षिक लेखाओं की प्रति, उन पर संपरीक्षा रिपोर्ट सहित, बोर्ड को और बोर्ड के संप्रेक्षणों के साथ, कुलाध्यक्ष को प्रस्तुत की जाएगी ।

(3) वार्षिक लेखाओं पर कुलाध्यक्ष द्वारा किए गए संप्रेक्षण बोर्ड के ध्यान में लाए जाएंगे और बोर्ड के संप्रेक्षणों को, यदि कोई हों, कुलाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाएगा ।

(4) कुलाध्यक्ष को प्रस्तुत की गई संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखाओं की एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी, जो उसे यथाशीघ्र, संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी ।

(5) संपरीक्षित वार्षिक लेखे संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाने के पश्चात् राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे ।

कर्मचारियों की सेवा की शर्तें ।

32. (1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी लिखित संविदा के अधीन नियुक्त किया जाएगा जो विश्वविद्यालय के पास रखी जाएगी और उसकी एक प्रति संबंधित कर्मचारी को दी जाएगी ।

(2) विश्वविद्यालय और उसके किसी कर्मचारी के बीच संविदा से उत्पन्न होने वाला कोई विवाद, कर्मचारी के अनुरोध पर, माध्यस्थम् अधिकरण को निर्देशित किया जाएगा जिसमें बोर्ड द्वारा नियुक्त एक सदस्य, संबंधित कर्मचारी द्वारा नामनिर्देशित एक सदस्य और कुलाध्यक्ष द्वारा नियुक्त एक अधिनिर्णायक होगा ।

(3) अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा और अधिकरण द्वारा विनिश्चित मामलों के संबंध में किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद नहीं होगा ।

(4) उपधारा (2) के अधीन कर्मचारी द्वारा किया गया प्रत्येक ऐसा अनुरोध माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) के अर्थ में इस धारा के निबंधनों पर माध्यस्थम् के लिए निवेदन समझा जाएगा ।

(5) अधिकरण के कार्य को विनियमित करने की प्रक्रिया परिनियमों द्वारा विहित की जाएगी ।

छात्रों के विरुद्ध अनुशासनिक मामलों में अपील और माध्यस्थम् की प्रक्रिया ।

33. (1) कोई छात्र या परीक्षार्थी, जिसका नाम विश्वविद्यालय की नामावली से, यथास्थिति, कुलपति, अनुशासन समिति या परीक्षा समिति के आदेशों या संकल्प द्वारा हटाया गया है और जिसे विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में बैठने से एक वर्ष से अधिक के लिए विवर्जित किया गया है उसके द्वारा ऐसे आदेशों की या ऐसे संकल्प की प्रति की प्राप्ति की तारीख से दस दिन के भीतर बोर्ड को अपील कर सकेगा और बोर्ड, यथास्थिति, कुलपति या समिति के विनिश्चय को पुष्ट या उपांतरित कर सकेगा या

उलट सकेगा ।

(2) विश्वविद्यालय द्वारा किसी छात्र के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्रवाई से उत्पन्न होने वाला कोई विवाद, उस छात्र के अनुरोध पर, माध्यस्थम् अधिकरण को निर्देशित किया गया जाएगा और धारा 32 की उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (5) के उपबंध, इस उपधारा के अधीन किए गए निर्देश को, यथाशक्य, लागू होंगे ।

अपील करने का अधिकार ।

34. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे महाविद्यालय या संस्था के प्रत्येक कर्मचारी या छात्र को, यथास्थिति, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकरण अथवा किसी महाविद्यालय या संस्था के विनिश्चय के विरुद्ध ऐसे समय के भीतर, जो परिनियमों द्वारा विहित किया जाए, बोर्ड को अपील करने का अधिकार होगा और तब बोर्ड, उस विनिश्चय को जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पुष्ट या उपांतरित कर सकेगा या उलट सकेगा ।

भविष्य और पेंशन निधियां ।

35. (1) विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के फायदे के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं, ऐसी भविष्य-निधि और पेंशन निधि का गठन करेगा या ऐसी बीमा स्कीमों की व्यवस्था करेगा, जो वह ठीक समझे ।

(2) जहां ऐसी भविष्य-निधि या पेंशन निधि का इस प्रकार गठन किया गया है वहां केन्द्रीय सरकार यह घोषित कर सकेगी कि भविष्य-निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) के उपबंध ऐसी निधि को इस प्रकार लागू होंगे मानो वह सरकारी भविष्य-निधि हो ।

विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के गठन के बारे में विवाद ।

36. यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण के सदस्य के रूप में सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया है या उसका सदस्य होने का हकदार है या नहीं तो वह मामला कुलाध्यक्ष को निर्देशित किया जाएगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा ।

समितियों का गठन ।

37. जहां विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण को इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा समितियां स्थापित करने की शक्ति दी गई है वहां जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, ऐसी समितियों में, संबंधित प्राधिकरण के ऐसे सदस्य और ऐसे अन्य व्यक्ति, यदि कोई हों, होंगे, जिन्हें प्राधिकरण प्रत्येक मामले में ठीक समझे ।

आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना ।

38. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण के (पदेन सदस्यों से भिन्न) सदस्यों में सभी आकस्मिक रिक्तियां, यथाशीघ्र, ऐसे व्यक्तियों द्वारा भरी जाएंगी जिसने उस सदस्य को, जिसका स्थान रिक्त हुआ है, नियुक्त या सहयोजित किया था और आकस्मिक रिक्ति में नियुक्त या सहयोजित व्यक्ति, ऐसे प्राधिकरण या निकाय का सदस्य उस अवशिष्ट अवधि के लिए होगा, जिस तक वह व्यक्ति जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य रहता ।

विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों की कार्यवाहियों का रिक्तियों के कारण अविधिमान्य न होना ।

39. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि उसके सदस्यों में कोई रिक्ति या रिक्तियां हैं ।

सद्भावपूर्ण की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

40. इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के उपबंधों में से किसी उपबंध के अनुसरण में सद्भावपूर्ण की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां विश्वविद्यालय के बोर्ड, कुलपति, किसी प्राधिकरण या किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी ।

विश्वविद्यालय के अभिलेखों को साबित करने का ढंग ।

41. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या अन्य दस्तावेजों की, जो विश्वविद्यालय के कब्जे में

हैं, या विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक् रूप से रखे गए किसी रजिस्टर की किसी प्रविष्टि की प्रतिलिपि, कुलसचिव द्वारा सत्यापित कर दी जाने पर, उस दशा में जिसमें उसकी मूल प्रति पेश की जाने पर साक्ष्य में ग्राह्य होती, उस रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज के या रजिस्टर की प्रविष्टि के अस्तित्व के प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के रूप में ले ली जाएगी और उससे संबंधित मामलों और संव्यवहारों के साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जाएगी ।

विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रभाव ।

42. (1) इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से ही,--

(क) किसी संविदा या अन्य लिखित में राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय के प्रति निर्देश को विश्वविद्यालय के प्रतिनिर्देश समझा जाएगा ;

(ख) राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय की सभी जंगम और स्थावर संपत्ति विश्वविद्यालय में निहित होगी ;

(ग) राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय के सभी अधिकार और दायित्व विश्वविद्यालय को अंतरित किए जाएंगे और विश्वविद्यालय के अधिकार और दायित्व होंगे ;

(2) इस अधिनियम के प्रारंभ होने से तुरंत पूर्व राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय में स्थायी रूप से नियोजित प्रत्येक व्यक्ति, जो अपेक्षित अर्हता और विश्वविद्यालय में भर्ती के मानदंड को पूरा करता है, उसे उस रूप में नियोजित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा :

परंतु शैक्षणिक कर्मचारिवृंद का प्रत्येक सदस्य और संकाय का प्रत्येक सदस्य, जो अपेक्षित अर्हता और मानदंड को पूरा नहीं करता है, उसे दो वर्ष के लिए अर्हता को उन्नयित करने और मानदंड को पूरा करने का अवसर प्रदान किया जाएगा :

परंतु यह और कि स्थायी रूप से नियोजित प्रत्येक अन्य व्यक्ति को विनियम में उपबंधित रीति में अर्हता का उन्नयन करने और मानदंड को पूरा करने का अवसर प्रदान किया जाएगा :

परंतु यह भी कि राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय में स्थायी रूप से नियोजित प्रत्येक अन्य व्यक्ति की पदावधि, निबंधन और शर्तें, पेंशन का अधिकार और विशेषाधिकार, छुट्टी, उपदान, भविष्य निधि तथा अन्य विषयों का अवधारण बिहार राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा ।

(3) बिहार राज्य सरकार द्वारा राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय के आधिक्य अस्थायी शैक्षणिक कर्मचारिवृंद, शिक्षक, संकाय का सदस्य या अन्य कर्मचारी को, जिसके द्वारा या जिसके विरुद्ध कोई विवाद लंबित है, नियोजित करने के सभी प्रयास किए जाएंगे ।

(4) सभी विवाद या मुकदमेबाजी, जिनके लिए हेतुक किसी शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य, शिक्षक, संकाय के सदस्य या अन्य कर्मचारी और राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय के बीच इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व उद्भूत हुआ है, को शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य, शिक्षक, संकाय के सदस्य या अन्य कर्मचारी और राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय के बीच संस्थित, अभियोजित किया जाएगा या जारी रखा जाएगा मानो यह अधिनियम अधिनियमित ही नहीं हुआ है और ऐसे सभी मामलों का प्रबंध बिहार राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष प्रकोष्ठ द्वारा किया जाएगा तथा ऐसे मामलों के प्रबंधन से संबंधित सभी व्यय, जिसके अंतर्गत उसके किसी व्यक्ति को संदेय प्रतिकर भी है, को राज्य सरकार द्वारा चुकाया जाएगा ।

(5) इस अधिनियम के लागू होने की तारीख को किसी शैक्षिक पाठ्यक्रम, कार्यक्रम या स्कीम को पाठ्यक्रम, कार्यक्रम या स्कीम को ऐसे उपांतरणों सहित, जैसा विश्वविद्यालय उचित समझे, जारी रखा जाएगा ।

(6) बिहार राज्य सरकार और विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक कर्मचारिवृंद, शिक्षक, संकाय के सदस्य या अन्य कर्मचारी की पेंशन की लागत को समानुपात में पेंशन की सेवा की संबंधित

कालावधि के समानुपात में चुकाएगी और राज्य सरकार इस मद्दे किसी दायित्व का निर्वहन करने के लिए विश्वविद्यालय को अभिदाय का उपबंध करेगी ।

(7) विधार्थियों, शिक्षकों, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद, संकाय और प्रत्येक अन्य कर्मचारिवृंद के स्थायी अभिलेखों से संबंधित किसी विषय का उपबंध विनियमों द्वारा किया जाएगा ।

(8) पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति अभिलाभ, जिसके अंतर्गत प्रत्येक शैक्षणिक कर्मचारिवृंद, शिक्षक, संकायाध्यक्ष और प्रत्येक अन्य कर्मचारी के चिकित्सा अभिलाभ हैं, जो इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हो गया है, को बिहार राज्य सरकार द्वारा चुकाया जाएगा, जिसके लिए संदाय विश्वविद्यालय के माध्यम से किए जाएंगे और उनका प्रशासन इस निमित्त बिहार सरकार द्वारा बनाए गए उससे संबंधित नियमों द्वारा किया जाएगा ।

(9) विश्वविद्यालय के प्रत्येक शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद, संकाय और प्रत्येक अन्य कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की आयु का प्रशासन तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा किया जाएगा ।

(10) शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद, संकाय और प्रत्येक अन्य कर्मचारी की सेवा शर्तों का प्रशासन, जिसके लिए इस अधिनियम में कोई उपबंध नहीं किया गया है, का अवधारण केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए तत्स्थानी उपबंधों द्वारा किया जाएगा ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

43. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

संक्रमणकालीन उपबंध ।

44. इस अधिनियम और परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) प्रथम कुलाधिपति और प्रथम कुलपति, कुलाध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाएंगे और पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे;

(ख) प्रथम कुलसचिव और प्रथम नियंत्रक, कुलाध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाएंगे और उक्त प्रत्येक अधिकारी तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा;

(ग) बोर्ड के प्रथम सदस्य, कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे और तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे;

(घ) विद्या परिषद् के प्रथम सदस्य, कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे और तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे;

परन्तु यदि उपरोक्त पदों या प्राधिकरणों में कोई रिक्ति होती है तो वह कुलाध्यक्ष द्वारा, यथास्थिति, नियुक्ति या नामनिर्देशन द्वारा भरी जाएंगी और इस प्रकार नियुक्त या नामनिर्दिष्ट व्यक्ति तब तक पद धारण करेगा जब तक वह अधिकारी या सदस्य, जिसके स्थान पर उसकी नियुक्ति या नामनिर्देशन किया गया है, पद धारण करता यदि ऐसी रिक्ति नहीं हुई होती ।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम का निरसन ।

45. (1) बिहार कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987, जहां तक इसका संबंध राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पुसा, बिहार से है, निरसित किया जाता है । 1988 का बिहार अधिनियम 8

(2) इस निरसन के होते हुए--

(क) बिहार कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 के अधीन जहां तक इसका संबंध राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पुसा, बिहार से है, की गई सभी नियुक्तियां, जारी किए गए आदेश और प्रदान की गई अन्य शैक्षणिक उपाधियां, दिए गए डिप्लोमा और प्रमाण-पत्र, प्रदत्त विशेषाधिकार या की गई अन्य बातें, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन क्रमशः की गई, जारी की गई, प्रदान की गई, दिए गए अनुदत्त या की गई समझी जाएंगी और इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा या उसके अधीन अन्यथा उपबंध के सिवाए प्रवर्तन में तब तक बनी रहेंगी जब तक कि उन्हें इस अधिनियम के अधीन या परिनियमों के अधीन किए गए किसी आदेश द्वारा अतिष्ठित न कर दिया गया हो , और

(ख) अध्यापकों की नियुक्ति या प्रोन्नतियां, जो इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व हुई है, के लिए चयन समितियों की सभी कार्रवाईयां और ऐसी चयन समितियों की सिफारिशों की बाबत शासी निकाय की सभी कार्रवाईयां, जहां उनके आधार पर नियुक्ति के कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व पारित नहीं किए गए थे, इस बात के होते हुए भी कि चयन के लिए प्रक्रिया इस अधिनियम द्वारा, जहां तक इसका संबंध राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पुसा, बिहार से है, उपांतरित कर दी गई है, विधिमान्य हुई समझी जाएगी किंतु ऐसे लंबित चयनों के संबंध में अगली कार्रवाई इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार की जाएगी और उस प्रक्रम से चालू होगी जहां वे ऐसे प्रारंभ से ठीक पूर्व थी, सिवाय इसके यदि संबद्ध प्राधिकारी कुलाध्यक्ष के अनुमोदन से तत्प्रतिकूल विनिश्चय करते है ।

परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का राजपत्र में प्रकाशित किया जाना और संसद् के समक्ष रखा जाना ।

46. (1) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम, अध्यादेश या विनियम, राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा ।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम, अध्यादेश या विनियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस परिनियम, अध्यादेश या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह परिनियम, अध्यादेश या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु परिनियम, अध्यादेश या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा ।

(3) परिनियम, अध्यादेश या विनियम बनाने की शक्ति के अन्तर्गत परिनियम, अध्यादेश या विनियम को अथवा उनमें से किसी को ऐसी तारीख से, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से पहले की न हो, भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति होगी किन्तु किसी परिनियम, अध्यादेश या विनियम को इस प्रकार भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जाएगा कि उससे किसी ऐसे व्यक्ति के, जिसको ऐसा परिनियम, अध्यादेश या विनियम लागू होता है, हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े ।

अनुसूची

(धारा 26 देखिए)

विश्वविद्यालय के परिनियम

कुलाधिपति :

1. (1) कुलाधिपति की नियुक्ति, साधारणतया शिक्षा और विशिष्टतया कृषि विज्ञान में

ख्यातिप्राप्त व्यक्तियों में से, बोर्ड द्वारा सिफारिश किए गए तीन से अन्यून व्यक्तियों के पैनल में से कुलाध्यक्ष द्वारा की जाएगी .

परन्तु यदि कुलाध्यक्ष ऐसे सिफारिश किए गए व्यक्तियों में से किसी का अनुमोदन नहीं करता है तो वह बोर्ड से नई सिफारिशें मंगा सकेगा ।

(2) कुलाधिपति पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा और पुनः नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु कुलाधिपति, आपवादिक परिस्थितियों में अपने पद पर तब तक बना रह सकेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है ।

कुलपति :

2. (1) कुलपति की नियुक्ति, खंड (2) के अधीन गठित समिति द्वारा सिफारिश किए गए तीन से अन्यून व्यक्तियों के पैनल में से कुलाध्यक्ष द्वारा की जाएगी ।

(2) खंड (1) में निर्दिष्ट समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

(i) सचिव, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, भारत सरकार—अध्यक्ष;

(ii) सदस्य के रूप में कुलाधिपति का एक नामनिर्देशिती जो संयोजक भी होगा;

(iii) केन्द्रीय सरकार का एक नामनिर्देशिती ।

(3) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा ।

(4) कुलपति अपना पद ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, पद धारण करेगा और वह पांच वर्ष की और अवधि के लिए या जब तक वह सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता, पुनः नियुक्ति का पात्र होगा :

परन्तु कुलपति आपवादिक परिस्थितियों में, एक वर्ष से अनधिक अवधि तक या जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं हो जाता है और वह अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है, अपने पद पर बना रह सकेगा

(5) कुलपति की उपलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें निम्नलिखित होंगी, अर्थात्:—

(i) कुलपति को केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर नियत दर से मासिक वेतन और मकान किराया भत्ता से भिन्न भत्ते दिए जाएंगे और वह अपनी पदावधि के दौरान बिना किराया दिए सुसज्जित निवास-स्थान का हकदार होगा तथा ऐसे निवास-स्थान के रखरखाव की बाबत कुलपति को कोई प्रभार नहीं देना होगा;

(ii) कुलपति ऐसे सेवांत फायदों और भत्तों का हकदार होगा जो बोर्ड द्वारा कुलाध्यक्ष के अनुमोदन से समय-समय पर नियत किए जाएं :

परंतु जहां विश्वविद्यालय या उसके द्वारा चलाए जाने वाले किसी महाविद्यालय या संस्था का अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय या ऐसे अन्य विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जाने वाले या उससे संबद्ध किसी संस्था का कर्मचारी कुलपति के रूप में नियुक्त किया जाता है, वहां उसे ऐसी भविष्य-निधि में जिसका वह सदस्य है अभिदाय करते रहने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा और विश्वविद्यालय उस भविष्य-निधि में ऐसे व्यक्ति के खाते में उसी दर से अभिदाय करेगा जिस दर से व्यक्ति कुलपति के रूप में अपनी नियुक्ति के ठीक पहले अभिदाय कर रहा था :

परन्तु यह और कि जहां ऐसा कर्मचारी किसी पेंशन स्कीम का सदस्य रहा था, वहां विश्वविद्यालय ऐसी स्कीम में आवश्यक अभिदाय करेगा;

(iii) कुलपति, भारत सरकार के सचिव की पंक्ति के समतुल्य अधिकारियों के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर नियत दर के अनुसार यात्रा और अन्य भत्ते प्राप्त करने का हकदार होगा ।

(iv) कुलपति पद ग्रहण करने तथा छोड़ने पर भारत सरकार के सचिव की पंक्ति के समतुल्य अधिकारियों को यथा अनुज्ञेय स्थानांतरण यात्रा भत्ता और अन्य भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा ;

(v) कुलपति किसी कलैंडर वर्ष में तीस दिन की दर से पूर्ण वेतन पर छुट्टी का हकदार होगा और छुट्टी को प्रत्येक वर्ष जनवरी तथा जुलाई के प्रथम दिन को पन्द्रह दिन की दो अर्धवार्षिक किस्तों में अग्रिम रूप से उसके खाते में जमा कर दिया जाएगा :

परन्तु यदि कुलपति आधे वर्ष के चालू रहने के दौरान कुलपति का पद ग्रहण करता है या छोड़ता है तो छुट्टी को अनुपाततः सेवा के प्रत्येक संपूरित मास के लिए ढ़ाई दिन की दर से जमा किया जाएगा ;

(vi) कुलपति, उपखंड (iv) में निर्दिष्ट छुट्टी के अतिरिक्त, सेवा के प्रत्येक संपूरित वर्ष के लिए बीस दिन की दर से अर्धवेतन छुट्टी का भी हकदार होगा । इस अर्धवेतन छुट्टी का उपभोग चिकित्सीय प्रमाणपत्र के आधार पर पूर्ण वेतन पर परिवर्तित छुट्टी के रूप में भी किया जा सकेगा :

परंतु जब परिवर्तित छुट्टी उपलब्ध है तो अर्धवेतन छुट्टी की दुगुनी मात्रा देय अर्धवेतन छुट्टी के प्रति विकलित की जाएगी ;

(vii) कुलपति, भारत सरकार के नियमों के अनुसार छुट्टी यात्रा रियायत और गृह यात्रा रियायत के लिए हकदार होगा;

(viii) कुलपति, पद छोडने के समय भारत सरकार के नियमों के अनुसार छुट्टी नकदीकरण के फायदे का हकदार होगा ।

(6) यदि मृत्यु, पदत्याग के कारण या अन्यथा कुलपति का पद रिक्त हो जाता है अथवा यदि वह अस्वस्थता के कारण या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तो, यथास्थिति, ज्येष्ठतम संकायाध्यक्ष या निदेशक, कुलपति के कर्तव्यों का तब तक पालन करेगा जब तक, यथास्थिति, नया कुलपति पद ग्रहण नहीं कर लेता या कुलपति अपने पद के कर्तव्य नहीं संभाल लेता ।

कुलपति की शक्तियां और कर्तव्य :

3. (1) कुलपति, बोर्ड, विद्या परिषद्, वित्त समिति, अनुसंधान परिषद् और विस्तारी शिक्षा परिषद् का पदेन अध्यक्ष होगा और कुलाधिपति की अनुपस्थिति में उपाधियां प्रदान करने के लिए आयोजित दीक्षांत समारोहों की अध्यक्षता करेगा ।

(2) कुलपति, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण के किसी अधिवेशन में उपस्थित रहने और उसे संबोधित करने का हकदार होगा किन्तु वह उसमें मत देने का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक वह ऐसे प्राधिकरण का सदस्य न हो ।

(3) कुलपति का यह देखना कर्तव्य होगा कि इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का सम्यक् रूप से पालन किया जाता है और उसे ऐसा पालन सुनिश्चित करने के लिए

आवश्यक सभी शक्तियां प्राप्त होंगी ।

(4) कुलपति विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर नियंत्रण करेगा और वह विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकरणों के विनिश्चयों को प्रभावी करेगा ।

(5) कुलपति को विश्वविद्यालय में समुचित अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी शक्तियां होंगी और वह ऐसी किसी भी शक्ति का, किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को, जिन्हें वह ठीक समझे, प्रत्यायोजन कर सकेगा ।

(6) कुलपति को बोर्ड, विद्या परिषद्, अनुसंधान परिषद्, विस्तारी शिक्षा परिषद् और वित्त समिति के अधिवेशन बुलाने या बुलवाने की शक्ति होगी ।

महाविद्यालयों और संकायों के संकायाध्यक्ष :

4. (1) प्रत्येक संकाय का एक संकायाध्यक्ष होगा जो संबद्ध महाविद्यालय का प्रमुख भी होगा ।

(2) यदि किसी संकाय में एक से अधिक महाविद्यालय हैं तो, कुलपति संकायाध्यक्षों में से किसी एक को संकाय का संकायाध्यक्ष नामनिर्देशित कर सकेगा ।

(3) महाविद्यालय का संकायाध्यक्ष, परिनियम 18 के प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिशों पर बोर्ड द्वारा नियुक्त किया जाएगा और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा ।

(4) संकायाध्यक्ष, निःशुल्क किराया और असुसज्जित निवास-स्थान का हकदार होगा ।

(5) संकायाध्यक्ष पांच वर्ष की अवधि के लिए पदभार ग्रहण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा :

परंतु संकायाध्यक्ष पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उस हैसियत से पदधारण नहीं करेगा ।

(6) जब संकायाध्यक्ष का पद रिक्त है या जब संकायाध्यक्ष रुग्णता, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तो पद के कर्तव्य ऐसे व्यक्तियों द्वारा पूरे किए जा सकेंगे जिन्हें कुलपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे ।

(7) संकायाध्यक्ष, महाविद्यालय और संकाय में अध्यापन के मानकों के संचालन और अनुरक्षण के लिए कुलपति के प्रति उत्तरदायी होगा और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा जो अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं ।

(8) संकायाध्यक्ष, संकाय के अध्ययन बोर्ड का पदेन अध्यक्ष, विश्वविद्यालय की विद्या परिषद्, अनुसंधान परिषद् और विस्तारी शिक्षा परिषद् का पदेन सदस्य होगा ।

शिक्षा निदेशक :

5. (1) शिक्षा निदेशक, इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिशों पर बोर्ड द्वारा नियुक्त किया जाएगा और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा ।

(2) शिक्षा निदेशक, निःशुल्क किराया और असुसज्जित निवास-स्थान का हकदार होगा ।

(3) शिक्षा निदेशक पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा :

परन्तु शिक्षा निदेशक पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर उस हैसियत से पद धारण नहीं करेगा ।

(4) शिक्षा निदेशक विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों में सभी शैक्षिक कार्यक्रमों की योजना,

समन्वय और पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होगा ।

अनुसंधान निदेशक :

6. (1) अनुसंधान निदेशक, इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिशों पर, बोर्ड द्वारा नियुक्त किया जाएगा और विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा ।

(2) अनुसंधान निदेशक, निःशुल्क किराया और असुसज्जित निवास स्थान का हकदार होगा ।

(3) अनुसंधान निदेशक पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और पुनः नियुक्ति का पात्र होगा :

परन्तु अनुसंधान निदेशक पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर उस हैसियत से पद धारण नहीं करेगा ।

(4) अनुसंधान निदेशक विश्वविद्यालय के सभी अनुसंधान कार्यक्रमों के पर्यवेक्षण तथा समन्वय के लिए उत्तरदायी होगा और अपने कर्तव्यों के पालन के लिए कुलपति के प्रति उत्तरदायी होगा ।

(5) अनुसंधान निदेशक विश्वविद्यालय की अनुसंधान-परिषद् का पदेन सदस्य-सचिव होगा

विस्तारी शिक्षा निदेशक :

7. (1) विस्तारी शिक्षा निदेशक, इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिशों पर बोर्ड द्वारा नियुक्त किया जाएगा और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा ।

(2) विस्तारी शिक्षा निदेशक, निःशुल्क किराया और असुसज्जित निवास-स्थान का हकदार होगा ।

(3) विस्तारी शिक्षा निदेशक, पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और वह पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा :

परंतु विस्तारी शिक्षा निदेशक पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर उस हैसियत से पद धारण नहीं करेगा ।

(4) विस्तारी शिक्षा निदेशक विश्वविद्यालय के सभी विस्तारी शिक्षा कार्यक्रमों के पर्यवेक्षण और समन्वय के लिए उत्तरदायी होगा तथा अपने कर्तव्यों के पालन के लिए कुलपति के प्रति उत्तरदायी होगा ।

(5) विस्तारी शिक्षा निदेशक, विश्वविद्यालय की विस्तारी शिक्षा परिषद् का पदेन सदस्य-सचिव होगा ।

कुलसचिव :

8. (1) कुलसचिव की नियुक्ति परिनियम 18 के अधीन गठित चयन समिति की सिफारिशों पर, बोर्ड द्वारा की जाएगी और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा ।

(2) कुलसचिव अपने कर्तव्यों के पालन के लिए कुलपति के प्रति उत्तरदायी होगा ।

(3) उसकी नियुक्ति पांच वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी और वह पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा ।

(4) वह पांच वर्ष से अनधिक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर भी नियुक्त किया जा सकेगा ।

(5) कुलसचिव की उपलब्धियां तथा सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें वे होंगी, जो अध्यादेशों

द्वारा विहित की जाएं :

परन्तु कुलसचिव साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा ।

(6) प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त हुए व्यक्ति की दशा में उसकी अवधि, उपलब्धियां और सेवा के अन्य निबंधन प्रतिनियुक्ति के निबंधनों के अनुसार होंगे ।

(7) जब कुलसचिव का पद रिक्त है या जब कुलसचिव रुग्णता, अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तब उस पद के कर्तव्यों का पालन उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसे कुलपति उस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे ।

(8) (क) कुलसचिव को, ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध जिनके अंतर्गत शिक्षक नहीं हैं और जो बोर्ड के आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, अनुशासनिक कार्रवाई करने की शक्ति होगी तथा उसे, ऐसी जांच के लंबित रहने तक उन्हें निलंबित करने, उन्हें चेतावनी देने या उन पर परिनिंदा की या वेतन वृद्धि रोकने की शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति होगी:

परंतु ऐसी कोई शास्ति तब तक अधिरोपित नहीं की जाएगी जब तक संबंधित व्यक्ति को, उसके संबंध में की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध कारण बताने का उचित अवसर नहीं दे दिया जाता है ।

(ख) उपखंड (क) में विनिर्दिष्ट कोई शास्ति अधिरोपित करने के कुलसचिव के आदेश के विरुद्ध अपील, कुलपति को होगी ।

(ग) ऐसे मामले में, जहां जांच से यह प्रकट होता हो कि कुलसचिव की शक्ति के बाहर का कोई दंड अपेक्षित है वहां, कुलसचिव जांच के पूरा होने पर कुलपति को अपनी सिफारिशों सहित एक रिपोर्ट देगा :

परंतु कोई शास्ति अधिरोपित करने के कुलपति के आदेश के विरुद्ध अपील बोर्ड को होगी ।

(9) कुलसचिव, बोर्ड और विद्या परिषद् का पदेन सचिव होगा, किंतु वह इन प्राधिकारणों में से किसी भी प्राधिकरण का सदस्य नहीं समझा जाएगा ।

(10) कुलसचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह—

(क) विश्वविद्यालय के अभिलेखों, सामान्य मुद्रा और ऐसी अन्य संपत्ति को, जो बोर्ड उसके भारसाधन में सौंपे, अभिरक्षा में रखे ;

(ख) बोर्ड, विद्या परिषद् और उन प्राधिकरणों द्वारा नियुक्त किसी भी समिति के अधिवेशनों को बुलाने के लिए सभी सूचनाएं जारी करे ;

(ग) बोर्ड, विद्या-परिषद् के और उन प्राधिकरणों द्वारा नियुक्त किन्हीं समितियों के सभी अधिवेशनों के कार्यवृत्त रखे;

(घ) बोर्ड और विद्या-परिषद् के शासकीय पत्र-व्यवहार का संचालन करे;

(ङ) अध्यादेशों या अधिसूचनाओं द्वारा विहित रीति के अनुसार, विश्वविद्यालय की परीक्षाओं की, व्यवस्था करे;

(च) कुलाध्यक्ष को विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के अधिवेशनों की कार्यसूची की प्रतियां, जैसे ही वे जारी की जाएं, और ऐसे अधिवेशनों के कार्यवृत्त दे;

(छ) विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध वादों या कार्यवाहियों में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करे, मुख्तारनामों पर हस्ताक्षर करे और अभिवचनों को सत्यापित करे या इस प्रयोजन के लिए अपने प्रतिनिधि प्रतिनियुक्त करे; और

(ज) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएं अथवा जिनकी बोर्ड या कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षा की जाए ।

नियंत्रक:

9. (1) नियंत्रक, परिनियम 18 के अधीन गठित चयन समिति की सिफारिशों पर, बोर्ड द्वारा नियुक्त किया जाएगा और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा ।

(2) उसकी नियुक्ति पांच वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी और वह पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा ।

(3) नियंत्रक पांच वर्ष से अनधिक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर भी नियुक्त किया जा सकेगा ।

(4) नियंत्रक की उपलब्धियां तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएं ।

(5) किसी व्यक्ति के प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त होने की दशा में, उसकी पदावधि, उपलब्धियां और सेवा के अन्य निबंधन, प्रतिनियुक्ति के मानक के अनुसार होंगे:

परंतु नियंत्रक साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा ।

(6) जब नियंत्रक का पद रिक्त है या जब नियंत्रक, रुग्णता, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तब उस पद के कर्तव्यों का पालन उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जो कुलपति उस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे ।

(7) नियंत्रक, वित्त समिति का पदेन सचिव होगा, किंतु ऐसी समिति का सदस्य नहीं समझा जाएगा ।

(8) नियंत्रक—

(क) विश्वविद्यालय की निधि का साधारण पर्यवेक्षण करेगा और उसकी वित्तीय नीति के संबंध में उसे सलाह देगा; और

(ख) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों, अध्यादेशों में विनिर्दिष्ट किए जाएं या जिनकी समय-समय पर बोर्ड या कुलपति द्वारा अपेक्षा की जाए ।

(9) बोर्ड के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, नियंत्रक—

(क) विश्वविद्यालय की संपत्ति और विनिधानों को, जिनके अंतर्गत न्यास और विन्यास की संपत्ति भी है, धारण करेगा और उसका प्रबंध करेगा;

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि बोर्ड द्वारा एक वर्ष के लिए नियत आवर्ती और अनावर्ती व्यय की सीमाओं से अधिक व्यय न किया जाए और सभी धन का व्यय उसी प्रयोजन के लिए किया जाए जिसके लिए वह मंजूर या आबंटित किया गया है;

(ग) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा और बजट तैयार किए जाने के लिए और उनको बोर्ड को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा;

(घ) नकद और बैंक अतिशेषों की स्थिति तथा विनिधानों की स्थिति पर बराबर नजर रखेगा;

(ङ) राजस्व के संग्रहण की प्रगति पर नजर रखेगा और संग्रहण करने के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों के विषय में सलाह देगा;

(च) यह सुनिश्चित करेगा कि भवन, भूमि, फर्नीचर और उपस्कर के रजिस्टर अद्यतन रखे जाए तथा विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे सभी कार्यालयों, विशेषित प्रयोगशालाओं, महाविद्यालयों और संस्थाओं के उपस्कर तथा उपयोज्य अन्य सामग्री के स्टाक की जांच की जाए;

(छ) अप्राधिकृत व्यय और अन्य वित्तीय अनियमितताओं को कुलपति की जानकारी में लाएगा तथा व्यतिक्रमी व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई का सुझाव देगा; और

(ज) विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे किसी कार्यालय, प्रयोगशाला, महाविद्यालय या संस्था से कोई ऐसी जानकारी या विवरणियां मांगेगा जो वह अपने कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक समझे ।

(10) नियंत्रक या बोर्ड द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा विश्वविद्यालय को संदेय किसी धन के बारे में रसीद; उस धन के संदाय के लिए पर्याप्त उन्मोचन होगी ।

विभागाध्यक्ष :

10. (1) कुलपति द्वारा नियुक्त प्रत्येक विभाग का एक अध्यक्ष होगा जो सह-आचार्य की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा तथा जिसके कर्तव्य तथा नियुक्ति के निबंधन और शर्तें अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएंगी ।

(2) विभागाध्यक्ष अध्यापन के लिए संकायाध्यक्ष, अनुसंधान के लिए अनुसंधान निदेशक, विस्तारी शिक्षा कार्य के लिए विस्तारी शिक्षा निदेशक के प्रति उत्तरदायी होगा ।

(3) संकायाध्यक्ष संबद्ध महाविद्यालयों में विभागाध्यक्षों का प्रशासनिक नियंत्रक अधिकारी होगा:

परंतु यदि किसी विभाग में एक से अधिक आचार्य हैं तो विभागाध्यक्ष, कुलपति द्वारा आचार्यों में से नियुक्त किया जाएगा:

परंतु यह और कि ऐसे विभाग की दशा में, जहां केवल एक आचार्य है, कुलपति के पास यह विकल्प होगा कि या तो आचार्य को या सह-आचार्य को, विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्त करे:

(4) आचार्य या सह-आचार्य को विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के प्रस्ताव को अस्वीकार करने की स्वतंत्रता होगी ।

(5) विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया आचार्य या सह-आचार्य उस रूप में तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा और वह पुनः नियुक्ति का पात्र होगा ।

(6) विभागाध्यक्ष, अपनी पदावधि के दौरान किसी भी समय अपना पद त्याग सकेगा ।

(7) विभागाध्यक्ष ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं ।

(8) विभागाध्यक्ष पैंसठ वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होगा ।

पुस्तकालयाध्यक्ष:

11. (1) प्रत्येक पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति परिनियम 18 के अधीन इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिशों पर, बोर्ड द्वारा की जाएगी और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा ।

(2) प्रत्येक पुस्तकालयाध्यक्ष, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे कुलपति द्वारा सौंपे जाएं ।

प्रबन्ध बोर्ड का गठन, उसकी शक्तियां और कृत्यः

12. (1) बोर्ड निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात्:—

(i) कुलपति, पदेन अध्यक्ष;

(ii) बिहार राज्य के कृषि या पशुपालन, मत्स्य उद्योग और उद्यान कृषि विभागों के भारसाधक सचिवों में से तीन सचिव चक्रानुक्रम से कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे;

(iii) तीन ख्यातिप्राप्त वैज्ञानिक जो कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे;

(iv) कृषि आधारित उद्योगों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक ख्याति प्राप्त व्यक्ति या कृषि विकास में विशेष ज्ञान रखने वाला विनिर्माता जो कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा;

(v) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का प्रतिनिधित्व करने वाला उप महानिदेशक (शिक्षा);

(vi) महाविद्यालय का एक संकायाध्यक्ष और एक निदेशक जो चक्रानुक्रम के आधार पर कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा;

(vii) कुलपति द्वारा चक्रानुक्रम से नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो व्यक्ति ;

(viii) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट की जाने वाली एक महिला सामाजिक कार्यकता, जो महिला सामाजिक संगठनों का प्रतिनिधित्व करेगी;

(ix) एक सलाहकार (कृषि), नीति आयोग;

(x) प्राकृतिक संसाधन या पर्यावरण प्रबंध में एक विशिष्टता-प्राप्त प्राधिकारी जो कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा;

(xi) संयुक्त सचिव से अन्यून पंक्ति के दो व्यक्ति जो क्रमशः कृषि और पशुपालन से संबंधित भारत सरकार के विभागों से हों; जिन्हें भारत सरकार के संबद्ध सचिव द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(xii) कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले सचिव का नामनिर्देशिती; और

(xiii) विश्वविद्यालय का कुलसचिव—सचिव ।

(2) बोर्ड के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी ।

(3) बोर्ड को विश्वविद्यालय के राजस्व और संपत्ति का प्रबंध और प्रशासन करने तथा विश्वविद्यालय के सभी ऐसे प्रशासनिक मामलों का, जिनके लिए अन्यथा उपबंध नहीं किया गया है, संचालन करने की शक्ति होगी ।

(4) इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, बोर्ड को, उसमें निहित अन्य सभी शक्तियों के अतिरिक्त, निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्:—

(i) अध्यापन और शैक्षणिक पदों का सृजन करना, ऐसे पदों की संख्या तथा उनकी उपलब्धियां अवधारित करना और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अनुमोदन के अध्यधीन विश्वविद्यालय के कर्मचारिवृन्द के कर्तव्यों और सेवा की शर्तों को परिभाषित करना;

(ii) ऐसे शिक्षकों और अन्य कर्मचारिवृन्द को, जो आवश्यक हों, और विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे महाविद्यालयों के संकायाध्यक्षों और अन्य संस्थाओं के निदेशक और अध्यक्षों को इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिशों पर नियुक्त करना तथा

उनमें अस्थायी रिक्तियों को भरना;

(iii) प्रशासनिक, अनुसचिवीय और अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना तथा अध्यादेशों द्वारा विहित रीति से उन पर नियुक्तियां करना;

(iv) परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार कर्मचारियों में अनुशासन का विनियमन करना और उसका पालन कराना;

(v) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखाओं, विनिधानों, संपत्ति, कामकाज तथा सभी अन्य प्रशासनिक मामलों का प्रबन्ध और विनियमन करना और उस प्रयोजन के लिए ऐसे अभिकर्ता नियुक्त करना जो वह ठीक समझे;

(vi) वित्त समिति की सिफारिशों पर एक वर्ष के कुल आवर्ती और कुल अनावर्ती व्यय की सीमाएं नियत करना;

(vii) विश्वविद्यालय के धन को, जिसके अंतर्गत कोई अनुपयोजित आय भी है, ऐसे स्टाकों, निधियों, शेयरों या प्रतिभूतियों में जो वह ठीक समझे या भारत में स्थावर संपत्ति के क्रय में समय-समय पर विनिहित करना जिसके अंतर्गत ऐसे विनिधानों में समय-समय पर उसी प्रकार परिवर्तन करने की शक्ति है;

(viii) विश्वविद्यालय की ओर से किसी जंगम या स्थावर संपत्ति का अंतरण करना या अंतरण स्वीकार करना;

(ix) विश्वविद्यालय के कार्य को चलाने के लिए आवश्यक भवनों, परिसरों, फर्नीचर और साधित्र तथा अन्य साधनों की व्यवस्था करना;

(x) विश्वविद्यालय की ओर से संविदाएं करना, उनमें परिवर्तन करना, उन्हें कार्यान्वित करना और रद्द करना;

(xi) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों की किन्हीं शिकायतों को ग्रहण करना, उनका न्यायनिर्णयन करना और यदि ठीक समझा जाता है तो उन शिकायतों को दूर करना;

(xii) परीक्षकों या विशेषज्ञों या परामर्शदाताओं, सलाहकारों और विशेष कर्तव्यारूढ़ अन्य अधिकारियों की फीस, मानदेय, उपलब्धियां और यात्रा भत्ते नियत करना;

(xiii) विश्वविद्यालय के लिए सामान्य मुद्रा का चयन करना और ऐसी मुद्रा की अभिरक्षा और उपयोग की व्यवस्था करना;

(xiv) ऐसे विशेष इंतजाम करना जो छात्राओं के निवास और उनमें अनुशासन के लिए आवश्यक हों;

(xv) अपनी शक्तियों में से कोई शक्ति जो वह ठीक समझे, कुलपति, संकायाध्यक्ष, निदेशक, कुलसचिव या नियंत्रक को या विश्वविद्यालय के अन्य ऐसे कर्मचारी या प्राधिकारी को या अपने द्वारा नियुक्त की गई किसी समिति को, प्रत्यायोजित करना;

(xvi) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, पदक और पुरस्कार संस्थित करना;

(xvii) अभ्यागत आचार्यों, प्रतिष्ठित आचार्यों, परामर्शदाताओं तथा विशेष कर्तव्यारूढ़ अधिकारियों और विद्वानों की नियुक्ति का उपबंध करना और ऐसी नियुक्तियों के निबंधनों और शर्तों का अवधारण करना; और

(xviii) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो उस अधिनियम या परिनियमों द्वारा प्रदत्त किए जाएं ।

बोर्ड के अधिवेशनों के लिए गणपूर्ति:

13. बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति उसके पांच सदस्यों से होगी ।

विद्या परिषद् का गठन और शक्तियां:

14. (1) विद्या परिषद् निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:—

(i) कुलपति, पदेन अध्यक्ष;

(ii) विश्वविद्यालय के सभी महाविद्यालयों के संकायाध्यक्ष;

(iii) विश्वविद्यालय का अनुसंधान निदेशक;

(iv) विश्वविद्यालय का विस्तारी शिक्षा निदेशक;

(v) शिक्षा निदेशक;

(vi) चक्रानुक्रम आधार पर कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई पुस्तकाल्याध्यक्ष;

(vii) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय के बाहर से सहयोजित दो विख्यात वैज्ञानिक;

(viii) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट सात विभागाध्यक्ष, जिसमें कम से कम एक प्रत्येक संकाय से हो;

(ix) विश्वविद्यालय का कुलसचिव, पदेन सचिव ।

(2) विद्या परिषद् के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी ।

(3) इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के अधीन रहते हुए, विद्या परिषद् को, उसमें निहित अन्य सभी शक्तियों के अतिरिक्त, निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्:—

(क) विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों का साधारण पर्यवेक्षण करना और शिक्षण की पद्धतियों, महाविद्यालयों और संस्थाओं में सहकारी अध्यापन मूल्यांकन और शैक्षणिक स्तरों में सुधारों के बारे में निदेश देना;

(ख) महाविद्यालयों के बीच समन्वय करना और शैक्षणिक मामलों पर समिति की स्थापना या नियुक्ति करना;

(ग) साधारण शैक्षणिक अभिरुचि के विषयों पर स्वप्रेरणा से या किसी महाविद्यालय या बोर्ड द्वारा निर्देश किए जाने पर विचार करना और उन पर समुचित कार्रवाई करना; और

(घ) परिनियमों और अध्यादेशों से संगत ऐसे विनियम और नियम बनाना जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यकरण, अनुशासन, निवास, प्रवेश, अध्येतावृत्तियों और अध्ययनवृत्तियों के दिए जाने, फीस, रियायतों, सामुदायिक जीवन और हाजिर के संबंध में हों ।

विद्या परिषद् के अधिवेशनों के लिए गणपूर्ति :

15. विद्या परिषद् के अधिवेशनों के लिए गणपूर्ति विद्या परिषद् के एक-तिहाई सदस्यों से होगी ।

अध्ययन बोर्ड :

16. (1) प्रत्येक संकाय में एक अध्ययन बोर्ड होगा ।

(2) प्रत्येक संकाय का अध्ययन बोर्ड निम्नलिखित रूप से गठित होगा :—

(i) संकायाध्यक्ष—अध्यक्ष;

(ii) अनुसंधान निदेशक—सदस्य;

(iii) विस्तारी शिक्षा निदेशक—सदस्य;

(iv) संकाय के विभागों के सभी अध्यक्ष जो सह-आचार्य की पंक्ति से नीचे के नहीं होंगे—सदस्य;

(v) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट विद्या परिषद् का एक प्रतिनिधि जो विशिष्ट संकाय से नहीं होगा;

(vi) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट कृषि शिक्षा प्रणाली से दो विख्यात वैज्ञानिक जो विश्वविद्यालय से नहीं होंगे;

(vii) उच्चतम समग्र श्रेणी बिन्दु औसत (ओजीपीए) धारक एक अंतिम वर्ष का स्नातकोत्तर छात्र —सदस्य;

(viii) संकाय का सहायक कुलसचिव (विद्या)—सदस्य; और

(ix) शिक्षा निदेशक—सदस्य ।

(3) अध्ययन बोर्ड के कृत्य, विद्या परिषद् को संबद्ध संकायों द्वारा प्रस्तावित विभिन्न उपाधियों के लिए विहित की जाने वाली पाठ्यचर्या की सिफारिशें करना और विहित अनुमोदित पाठ्यक्रमों के शिक्षण के लिए उपयुक्त सिफारिशें करना होगा, अर्थात्:—

(क) अध्ययन पाठ्यक्रमों और पाठ्यक्रमों के लिए, जिनमें अनुसंधान उपाधियां नहीं हैं, परीक्षकों की नियुक्ति;

(ख) अनुसंधान पर्यवेक्षकों की नियुक्ति; और

(ग) अध्यापन और अनुसंधान के स्तर में सुधार के लिए उपाय ।

वित्त समिति :

17. (1) वित्त समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

(i) कुलपति—अध्यक्ष;

(ii) कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग का वित्तीय सलाहकार या उसका नामनिर्देशिती जो उप सचिव की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा;

(iii) बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले तीन व्यक्ति जिनमें कम से कम एक व्यक्ति बोर्ड का सदस्य होगा;

(iv) कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले तीन व्यक्ति; और

(v) विश्वविद्यालय का नियंत्रक—सदस्य-सचिव ।

(2) वित्त समिति के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति उसके तीन सदस्यों से होगी ।

(3) वित्त समिति के पदेन सदस्यों से भिन्न सभी सदस्य तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे ।

(4) यदि वित्त समिति का कोई सदस्य वित्त समिति के किसी विनिश्चय से सहमत नहीं है तो उसे विसम्मति का कार्यवृत्त अभिलिखित करने का अधिकार होगा ।

(5) लेखाओं की परीक्षा और व्यय की प्रस्थापनाओं की संवीक्षा करने के लिए वित्त समिति का अधिवेशन प्रत्येक वर्ष में कम से कम दो बार होगा ।

(6) पदों के सृजन से संबंधित सभी प्रस्थापनाओं की और उन मदों की जो बजट में सम्मिलित नहीं की गई हैं, बोर्ड द्वारा उन पर विचार किए जाने से पूर्व, वित्त समिति द्वारा परीक्षा की जाएगी ।

(7) नियंत्रक द्वारा तैयार किए गए विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और वित्तीय प्राक्कलन वित्त समिति के समक्ष विचार तथा टीका-टिप्पणी के लिए रखे जाएंगे और तत्पश्चात् बोर्ड के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे ।

(8) विश्वविद्यालय की आय और संसाधनों के आधार पर, वित्त समीति वर्ष के लिए कुल आवर्ती व्यय और कुल अनावर्ती व्यय के लिए सीमाओं की सिफारिश करेगी । (जिसके अंतर्गत उत्पादक कार्यों की दशा में ऋणों से आगम हो सकेगा) ।

चयन समितियां

18. (1) शिक्षकों, नियंत्रक, कुलसचिव, पुस्तकालयाध्यक्षों महाविद्यालयों के स्वीकायाध्यक्षों, विश्वविद्यालयों द्वारा अनुरक्षित अन्य संस्थाओं के निदेशकों और प्रमुखों के पद पर नियुक्ति के लिए बोर्ड को सिफारिशें करने के लिए एक चयन समिति होगी ।

(2) निम्नलिखित सारणी के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिए चयन समिति उपसारणी के स्तंभ 2 में तत्स्थानी प्रविष्टियों में यथाविनिर्दिष्ट सदस्यों से गठित होगी ।

सारणी

1	2	3
क.	निदेशक/संकायाध्यक्ष	(i) कुलपति या उसका नामनिर्देशिती- अध्यक्ष (ii) कुलाध्यक्ष का एक नामनिर्देशिती – सदस्य (iii) बोर्ड द्वारा अनुमोदित छह नामों के पैनल से कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने के लिए कुलपति या समतुल्य (सेवारत या सेवानिवृत्त की पंक्ति से अन्यून तीन विख्यात वैज्ञानिक – सदस्य
ख.	आचार्य/समतुल्य	(i) कुलपति या उसका नामनिर्देशिती- अध्यक्ष (ii) कुलाध्यक्ष का एक नामनिर्देशिती – सदस्य (iii) संबंधित संकाय का संकायाध्यक्ष– सदस्य (iv) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला अनुसंधान निदेशक या विस्तार शिक्षा निदेशक या शिक्षानिदेशक – सदस्य (v) बोर्ड द्वारा अनुमोदित छह नामों के पैनल से कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने के लिए विभागाध्यक्ष (सेवारत या सेवानिवृत्त की पंक्ति से अन्यून तीन विख्यात विषय विशेषज्ञ – सदस्य
ग.	सह आचार्या/सहायक आचार्य/समतुल्य	(i) कुलपति या उसका नामनिर्देशिती- अध्यक्ष (ii) कुलाध्यक्ष का एक नामनिर्देशिती – सदस्य (iii) संबंधित संकाय का संकायाध्यक्ष– सदस्य (iv) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला

		शिक्षा निदेशक या अनुसंधान निदेशक या विस्तार शिक्षा निदेशक - सदस्य (v) बोर्ड द्वारा अनुमोदित छह नामों के पैनल से कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने के लिए आचार्य या समतुल्य (सेवारत या सेवानिवृत्त की पंक्ति से अन्यून दो विख्यात शिक्षक या वैज्ञानिक - सदस्य
घ.	कुलसचिव/नियंत्रक/ पुस्तकालाध्यक्ष	(i) कुलपति या उसका नामनिर्दैशिती- अध्यक्ष (ii) कुलाध्यक्ष का एक नामनिर्दैशिती - सदस्य (iii) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला एक निदेशक/संकायाध्यक्ष - सदस्य (iv) बोर्ड द्वारा अनुमोदित छह नामों के पैनल से कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले संबंधित विषय में दो विशेषज्ञ - सदस्य

(3) चयन समिति की बैठक में कुलपति या उसकी अनुपस्थिति में उसका नामनिर्दैशिती अध्यक्षता करेगा :

परंतु चयन समिति की बैठकें कुलाध्यक्ष के नाम निर्देशितियों के साथ पूर्व परामर्श के पश्चात् नियत की जाएगी :

परंतु यह और कि चयन समिति की कार्यवाहियां तब तक विधिमान्य नहीं होगी जब तक कम से कम दो सदस्य, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हो, बैठक में उपस्थित हों ।

(4) चयन समिति की बैठक कुलपति या उसकी अनुपस्थिति में नामनिर्दैशिती द्वारा आयोजित की जाएगी ।

(5) सिफारिशें करने में चयन समिति द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया समिति द्वारा साक्षात्कार से पूर्व विनिश्चित की जाएगी ।

(6) यदि बोर्ड चयन समिति द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार करने में असमर्थ हो तो वह उसके कारण लेखबद्ध करेगा और मामले को कुलाध्यक्ष को अंतिम आदेशों के लिए प्रस्तुत करेगा ।

(7) अस्थायी पदों के लिए नियुक्तियां नीचे उपदर्शित रीति में की जाएंगी :--

(i) कुलपति को छह मास से अनधिक की अवधि के लिए, जिसे बोर्ड के अनुमोदन से और छह मास की अवधि के लिए विस्तारित किया जा सकेगा, तदर्थ आधार पर किसी व्यक्ति को नियुक्त करने का प्राधिकार होगा:

परंतु यदि कुलपति का समाधान हो जाता है कि कार्य के हित में रिक्ति को भरना आवश्यक है, तो उपखंड (ii) में निर्दिष्ट स्थानीय चयन समिति द्वारा पूर्णतः अस्थायी आधार पर नियुक्ति की जा सकेगी ।

(ii) यदि अस्थायी रिक्ति एक वर्ष से कम की अवधि के लिए है तो ऐसी रिक्ति की नियुक्ति संबंधित महाविद्यालयों के संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष व कुलपति के एक नामनिर्दैशिती से गठित स्थानीय चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी:

परंतु यदि संकायाध्यक्ष और विभागाध्यक्ष के पद एक ही व्यक्ति धारण करता है तो चयन समिति कुलपति के दो नामनिर्दैशितियों से अंतर्विष्ट हो सकेंगे :

परंतु यह और कि मृत्यु या किसी अन्य कारण से कारित शिक्षकों के पदों के अकस्मात् या आकस्मिक रिक्तियों की दशा में, संकायाध्यक्ष संबंधित विभागाध्यक्ष के पद से एक मास के लिए अस्थायी नियुक्ति कर सकेगा और ऐसी नियुक्ति के संबंध में कुलपति और कुलसचिव को रिपोर्ट करेगा ।

(iii) अस्थायी रूप से नियुक्त किसी भी शिक्षक की सेवा, यदि परिनियमों के अधीन नियुक्ति के लिए नियमित चयन समिति द्वारा उसकी सिफारिश नहीं की गई हो, ऐसे अस्थायी नियोजन में तब तक जारी नहीं रखी जाएगी, जब तक स्थानीय चयन समिति या नियमित चयन समिति द्वारा पश्चातवर्ती उसका चयन यथास्थिति, किसी अस्थायी या स्थायी नियुक्ति के लिए नहीं किया जाता है ।

(8) अशैक्षणिक कर्मचारीवृंद के लिए चयन समिति के गठन की पद्धति, जो परिनियमों में विहित नहीं की गई है, अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएगी ।

नियुक्ति की विशेष पद्धति :

19. (1) परिनियम 18 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड उच्च शैक्षिक उपाधि और वृत्तिक प्राप्तियों वाले किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय में यथास्थिति आचार्य या सह आचार्य या किसी अन्य शैक्षणिक पद को, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह उचित समझे, स्वीकार करने के लिए आमंत्रित कर सकेगा और उस व्यक्ति के ऐसा करने हेतु सहमत होने पर उसे पद पर नियुक्त कर सकेगा ।

(2) बोर्ड किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्यरत किसी शिक्षक या अन्य शैक्षणिक कर्मचारीवृंद को अध्यादेशों में अधिकथित रीति के अनुसार किसी संयुक्त परियोजना का वचनबंध करने के लिए नियुक्त कर सकेगा ।

किसी नियत अवधि के लिए नियुक्ति

20. बोर्ड, परिनियम 18 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार चयनित किसी व्यक्ति को ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जिन्हें वह उपयुक्त समझे, किसी नियत अवधि के लिए नियुक्त कर सकेगा ।

निदेशक, संकायाध्यक्ष, आचार्य आदि की अर्हता

21. (1) विभिन्न संकायों के निदेशक, संकायाध्यक्ष, आचार्य और सह-आचार्य और सहायक आचार्य और अनुसंधान और विस्तार उनके समतुल्यों की अर्हताएं अध्यादेशों द्वारा यथाविहित होंगी ।

(2) अशैक्षणिक कर्मचारीवृंद की अर्हता अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएगी ।

समितियां

22. (1) धारा 17 में विनिर्दिष्ट विश्वविद्यालयों के प्राधिकारी उतनी स्थायी या विशेष समितियां नियुक्त कर सकेंगे जितनी वह ठीक समझे, ऐसी समितियों में उन व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेंगे जो उस प्राधिकरण के सदस्य नहीं है ।

(2) खंड (1) के अधीन नियुक्त ऐसी कोई समिति, उसे नियुक्त करने वाले प्राधिकारी द्वारा पुष्टि के अध्याधीन उसे प्रत्यायोजित किसी विषय में कार्यवाही कर सकेगा ।

शिक्षकों आदि के सेवा के निबंधन और शर्तें तथा आचारसंहिता

23. (1) विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक और अन्य शैक्षणिक कर्मचारीवृंद तत्प्रतिकूल किसी करार के अभाव में, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों में विनिर्दिष्ट सेवा के निबंधनों और शर्तों तथा आचारसंहिता द्वारा विनियमित होंगी ।

(2) विश्वविद्यालय का प्रत्येक शिक्षक और अन्य कर्मचारीवृंद लिखित संविदा के आधार पर नियुक्त किए जाएंगे जिसका प्ररूप अध्यादेशों द्वारा विहित किया जाएगा ।

(3) खंड 2 में निर्दिष्ट प्रत्येक संविदा की एक प्रति कुल सचिव के पास रखी जाएगी ।

अन्य कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें तथा आचारसंहिता

24. विश्वविद्यालय के सभी अशैक्षणिक कर्मचारी, तत्प्रतिकूल किसी संविदा के अभाव में, समय-समय पर बनाए गए परिनियमों,अध्यादेशों और विनियमों में विनिर्दिष्ट सेवा के निबंधनों और शर्तों तथा आचारसंहिता द्वारा विनिर्मित होंगी ।

ज्येष्ठता सूची

25. (1) जब कभी इन परिनियमों के अनुसार किसी व्यक्ति को ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से विश्वविद्यालय का कोई पद धारण करना है या उसके किसी प्राधिकरण का सदस्य होना है, तो उस ज्येष्ठता का अवधारण उस व्यक्ति के, उसकी श्रेणी में लगातार सेवाकाल और ऐसे अन्य सिद्धांतों के अनुसार होगा, जो बोर्ड समय-समय पर विहित करे ।

(2) कुलसचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह जिन व्यक्तियों को इन परिनियमों के उपबंध लागू होते हैं उनके प्रत्येक वर्ग की बाबत एक पूरी और अध्यतन ज्येष्ठता सूची खंड 1 के उपबंधों के अनुसार तैयार करे और बनाए रखें ।

(3) यदि दो या अधिक व्यक्तियों का किसी विशिष्ट श्रेणी में लगातार सेवाकाल बराबर हो या किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों की सापेक्ष ज्येष्ठता के विषय में अन्यथा संदेह हो तो कुल सचिव स्वप्रेरणा से उस मामले को और किसी व्यक्ति के अनुरोध पर बोर्ड को प्रस्तुत करेगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा ।

26. (1) जहां विश्वविद्यालय के किसी शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारीवृंद के किसी सदस्य या किसी अन्य कर्मचारी के विरुद्ध किसी अवचार का अभिकथन हो, वहां शिक्षक या शैक्षणिक कर्मचारीवृंद के सदस्य के मामले में कुलपति और अन्य कर्मचारियों के मामले में नियुक्ति करने के लिए सक्षम प्राधिकारी (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियुक्ति प्राधिकारी कहा गया है) लिखित आदेश द्वारा, यथास्थिति, ऐसे शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारीवृंद के सदस्य या अन्य कर्मचारी को निलंबित कर सकेगा और बोर्ड को उन परिस्थितियों की तुरंत रिपोर्ट देगा जिनमें वह आदेश किया गया था :

परंतु यदि बोर्ड की राय है कि मामले की परिस्थितियां ऐसी नहीं है कि शिक्षक या शैक्षणिक कर्मचारीवृंद के सदस्य का निलंबन होना चाहिए तो वह उस आदेश को प्रतिसंहत कर सकेगा ।

(2) कर्मचारियों की नियुक्ति की संविदा के निबंधनों में या सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तो में किसी बात के होते हुए भी, शिक्षक और अन्य शैक्षणिक कर्मचारीवृंद के संबंध में

बोर्ड तथा अन्य कर्मचारियों के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी को, यथास्थिति, शिक्षित या शैक्षणिक कर्मचारीवृंद के सदस्य या अन्य कर्मचारी को अवचार के आधार पर हटाने की शक्ति होगी ।

(3) यथापूर्वोक्त के सिवाय, यथास्थिति, बोर्ड या नियुक्ति प्राधिकारी किसी शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारीवृंद के किसी सदस्य या अन्य कर्मचारियों को हटाने के लिए तभी हकदार होगा जब उसके लिए उचित कारण हो, उसे तीन मास की सूचना दे दी गई हो या सूचना के बदले में तीन मास के वेतन का संदाय कर दिया गया हो, अन्यथा नहीं ।

(4) किसी शिक्षक, कर्मचारीवृंद के सदस्य या अन्य कर्मचारी को खंड (2) या खंड (3) के अधीन तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उसे उसके बारे में की जाने के लिए प्रस्थापित

कार्यवाही के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो ।

(5) किसी शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारीवृंद के सदस्य या अन्य कर्मचारी का हटाया जाना उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको हटाए जाने का आदेश किया जाता है :

परंतु जहां शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारीवृंद का सदस्य या अन्य कर्मचारी हटाए जाने के समय निलंबित है, वहां उसका हटाया जाना उस तारीख से प्रभावी होगा, जिसको वह निलंबित किया गया था ।

(6) इस परिनियम के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी कोई शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारीवृंद का सदस्य या अन्य कर्मचारी–

(क) यदि वह स्थायी कर्मचारी है तो वह यथास्थिति, बोर्ड या नियुक्ति प्राधिकारी को तीन मास का लिखित नोटिस देने या देने के बाद या उसके बदले में तीन मास का वेतन का संदाय करने के पश्चात् ही पद त्याग सकेगा;

(ख) यदि वह स्थायी कर्मचारी नहीं है तो बोर्ड या नियुक्ति प्राधिकारी को एक मास का लिखित नोटिस देने या उसके बदले में एक मास का वेतन या संदाय करने के पश्चात् ही पद त्याग सकेगा :

परंतु ऐसा त्याग पत्र केवल उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको यथास्थिति, बोर्ड या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा त्यागपत्र स्वीकार किया जाता है ।

सम्मानिक उपाधियां

27. (1) बोर्ड, विद्या परिषद की सिफारिश पर और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा कुलाध्यक्ष से सम्मानिक उपाधियां प्रदान करने की प्रस्थापना कर सकेगा :

परंतु आपात स्थिति की दशा में, बोर्ड स्वप्रेरणा से ऐसी प्रस्थापना कर सकेगा ।

(2) बोर्ड, उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा कुलाध्यक्ष की पूर्व मंजूरी से, विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त किसी सम्मानिक उपाधि को वापस ले सकेगा ।

उपाधियों आदि का वापस लिया जाना

28. बोर्ड उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित विशेष संकल्प द्वारा किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कोई उपाधि या विद्या संबंधी विशेष उपाधि या दिए गए प्रमाणपत्र या डिप्लोमा को उचित और पर्याप्त कारण से वापस ले सकेगा :

परंतु जब तक कि इस आशय की कोई लिखित सूचना कि ऐसा संकल्प क्यों नहीं पारित कर दिया जाए, उस व्यक्ति को उससे सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर कारण बताने की अपेक्षा करते हुए नहीं दी जाती और जब तक बोर्ड द्वारा उसके आक्षेपों पर, यदि कोई हो, और किसी ऐसे साक्ष्य पर, जो उनके समर्थन में प्रस्तुत करे विचार नहीं कर लिया जाता तब तक ऐसा संकल्प पारित नहीं किया जाएगा ।

विश्वविद्यालय के छात्रों में अनुशासन बनाए रखना

29. (1) विश्वविद्यालय के छात्रों के संबंध में अनुशासन बनाए रखने और आनुशासनिक कार्यवाही संबंधी सभी शक्तियां कुलपति में निहित होंगी ।

(2) कुलपति अपनी सभी या किन्हीं शक्तियों को, जिनको वह उचित समझे ऐसे अधिकारियों को जिन्हें वह इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, प्रत्यायोजित कर सकेगा ।

(3) कुलपति अनुशासन बनाए रखने से संबंधित और ऐसी कार्यवाही करने, जो उसे अनुशासन बनाए रखने के लिए समुचित प्रतीत हों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अपनी शक्तियों के प्रयोग में आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि छात्र या किन्हीं छात्रों को किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए निकाला या निष्कासित किया जाए या विश्वविद्यालय या उसके द्वारा चलाई जा रही किसी संस्था या उसके विशेषाधिकार में स्वीकृत संस्था के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों में कथित अवधि के लिए प्रवेश न दिया जाए अथवा उसे ऐसी रकम के जुर्माने से दंडित किया जाए जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाएगा अथवा उसे विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षा या परीक्षाओं में सम्मिलित होने से एक या अधिक वर्षों के लिए विवर्जित किया जाए अथवा संबंधित छात्र या छात्रों को किसी परीक्षा या किन्हीं परीक्षाओं का जिसमें वह हुआ है या वे सम्मिलित हुए हैं परीक्षाफल रद्द कर दिया जाए ।

(4) महाविद्यालयों के संकायाध्यक्षों, संस्थाओं और विश्वविद्यालय में शिक्षण विभागों के प्रमुखों को अपने अपने महाविद्यालयों संस्थाओं और विश्वविद्यालय में शिक्षण विभागों में छात्रों पर ऐसी अनुशासनिक शक्तियों का प्रयोग करने का प्राधिकार होगा, जो ऐसे महाविद्यालयों, संस्थाओं और विभागों में शिक्षण के उचित संचालन के लिए आवश्यक हों ।

(5) खंड (4) में विनिर्दिष्ट कुलपति, संकायाध्यक्षों और अन्य व्यक्तियों की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रशासन और उचित संचालन के लिए विस्तृत नियम विश्वविद्यालय द्वारा बनाए जाएंगे ।

(6) महाविद्यालयों के संकायाध्यक्ष, संस्थाएं और विश्वविद्यालय में शिक्षण विभागों के प्रमुख ऐसे अनुपूरक नियम भी बना सकेंगे जो वे खंड (5) में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझें ।

(7) प्रवेश के समय, प्रत्येक छात्र से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह इस आशय की घोषणा पर हस्ताक्षर करे कि वह अपने कुलपति की तथा विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों की अनुशासनिक अधिकारिता के अधीन अर्पित करता है ।

महाविद्यालय इत्यादि के छात्रों में अनुशासन बनाए रखना

30. विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित महाविद्यालय या किसी संस्था के छात्रों के संबंध में अनुशासन और अनुशासन कार्रवाई से संबंधित सभी शक्तियां, अध्यादेशों द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार, यथास्थिति, महाविद्यालय के संकायाध्यक्ष या संस्था में निहित होगी ।

दीक्षांत समारोह

31. उपाधियां प्रदान करने या अन्य परियोजनाओं के लिए विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह उस रीति से किए जाएंगे जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाए ।

कार्यकारी अध्यक्ष

32. जब किसी समिति के अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए किसी अध्यक्ष या सभापति का उपबंध नहीं किया गया है अथवा जब यथाउपबंधित अध्यक्ष या सभापति अनुपस्थित है या कुलपति ने लिखित रूप में कोई व्यवस्था नहीं की है तो सदस्य अपने आप में से किसी एक को अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए निर्वाचित करेंगे ।

त्यागपत्र

33. बोर्ड, विध्यापरिषद् या विश्वविद्यालय का कोई अन्य प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकरण की कोई समिति कुल सचिव को संबोधित पत्र द्वारा त्यागपत्र दे सकेगा । और ऐसा त्यागपत्र

कुलसचिव को प्राप्त होते ही प्रभावी हो जाएगा ।

निर्हताएं

34.(1) कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के प्राधिकारी में से किसी सदस्य का चुने होने के लिए निर्धारित होगा । यदि,—

(i) वह विकृतचित है;

(ii) वह अनुन्मोचित दिवालिया है ;

(iii) वह किसी ऐसे अपराध के लिए जिसमें नैतिक अधमता अंतवर्लित है, किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया है और उसकी बाबत छह मास से अन्यून कारावास से दंडादिष्ट किया गया है ।

(2) यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई व्यक्ति खंड (1) में वर्णित निरर्हताओं में से किसी एक के अधीन है या रहा है तो वह प्रश्न कुलाध्यक्ष को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा और ऐसे विनिश्चय के विरूद्ध किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद या अन्य कार्रवाई नहीं होगी ।

सदस्यता और पद के लिए निवास की शर्त

35. परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी, ऐसा कोई व्यक्ति जो भारत में मामूली तौर पर निवासी नहीं है, विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं होगा ।

अन्य निकायों की सदस्यता के आधार पर प्राधिकारियों की सदस्यता

36. परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी, वह व्यक्ति जो किसी विशिष्ट प्राधिकारी या निकाय के सदस्य होने के नाते या किसी विशिष्ट नियुक्ति पर होने के नाते विश्वविद्यालय में कोई पद धारण करता है या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय का सदस्य है केवल तब तक ऐसा पद या सदस्यता धारण करेगा जब तक वह, यथास्थिति, उस विशिष्ट प्राधिकारी या निकाय का सदस्य या उस विशिष्ट नियुक्ति पर बना रहता है ।

पूर्व छात्र संगम :

37. (1) विश्वविद्यालय का एक पूर्व छात्र संगम होगा ।

(2) पूर्व छात्र संगम का सदस्यता अभिदाय अध्यादेशों द्वारा विहित किया जाएगा ।

(3) पूर्व छात्र संगम का कोई भी सदस्य मतदान करने या निर्वाचन के लिए खड़े होने का तभी हकदार होगा जब वह निर्वाचन की तारीख से पहले कम से कम एक वर्ष तक उक्त संगम का सदस्य रहा है और विश्वविद्यालय का कम से कम पांच वर्ष की कालावधि का डिग्रीधारक है :

परन्तु एक वर्ष की सदस्यता पूरी करने संबंधी शर्त प्रथम निर्वाचन की दशा में लागू नहीं होगी ।

छात्र परिषद् :

38. (1) विश्वविद्यालय के प्रत्येक महाविद्यालय में छात्र कल्याण से संबंधित विभिन्न क्रियाकलापों की बाबत, जिनके अंतर्गत क्रीड़ा, खेलकूद, नाट्यकला, वाद-विवाद, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, आदि भी हैं, विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों को सिफारिशें करने के प्रयोजन के लिए प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के लिए एक छात्र परिषद् होगी, और ऐसी परिषद् निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:—